भाग 1 संस्करण 12
हिंदी

जन योजना
अभियान -
सबकी योजना
सबका
विकास

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

ग्रामोदय संकल्प

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय पंचायती राज
एवं ग्रामीण विकास मंत्री

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
केंद्रीय पंचायती राज
राज्य मंत्री

इस संस्करण में

• ग्राम पंचायत विकास योजना • राष्ट्रीय स्तर की ओरिएंटेशन कार्यशाला • आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान जन योजना अभियान की उपलब्धियां
(10-08-2022 तक)

ई-ग्रामस्वराज में अपलोड की गई योजना (2022-23)

GPDP- 254357 • BPDP- 4910 • ZPDP- 360

योजना को ग्रामसभा में मंजूरी

GPDP- 260854 • BPDP- 5239 • ZPDP- 433

7464 –नोडल अधिकारी की नियुक्ति

312876 –सुविधा प्रदाताओं की नियुक्ति

Gps- 266683 • BPs- 5689 • ZPs- 523

लाइन विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त - 162

1392399–फ्रंट लाइन वर्कर्स नामित

307657 –सभाओं का आयोजन

Gps- 263830 • BPs- 5354 • ZPs- 478

सभा की तस्वीर http://gpdp.nic.in/ पर अपलोड की गई: 671900

Gps- 261867 • BPs- 5270 • ZPs- 445

विषय सूची

मुख्य संपादक

सुनील कुमार, आईएएस
सचिव
पंचायती राज मंत्रालय

संपादक:

डॉ. बिजय कुमार बेहेरा
आईईएस
आर्थिक सलाहकार

संपादकीय सहयोग:

आलोक पण्डया
अंजनी कुमार तिवारी

3
माननीय मंत्री महोदय का संदेश

4
माननीय राज्य मंत्री महोदय का संदेश

5
माननीय सचिव महोदय का संदेश

7

ग्राम पंचायत विकास योजना- आवश्यकता और परिणाम

9
जन योजना अभियान 2021 पर राष्ट्रीय स्तर की ओरिएंटेशन कार्यशाला

14
भारत-गंगा के मैदानी राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला
28-29 अक्टूबर, 2021, भोपाल, मध्य प्रदेश

20
तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला
11 – 12 नवंबर, 2021, मंगलुरु, कर्नाटक

पेसा (PESA) राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला 22-23 नवंबर, 2021 जयपुर, राजस्थान – 24

हिमालयी राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला
28-29 नवंबर, 2021 देहरादून, उत्तराखंड 29

पूर्वोत्तर राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला
13-14 दिसंबर, 2021 अगरतला, त्रिपुरा 32

पंचायत परिकल्पना उत्सव:
असम राज्य का एक अनुभव 36

ग्रामोदय संकल्प का अनुवादन अनुभवी अनुवादकों द्वारा किया गया है और इसकी पंचायती राज मंत्रालय के तहत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) द्वारा विधिवत जांच की गई है. आसान और सामान्य रूप से बोले जाने वाले शब्दों में अर्थ व्यक्त करने के प्रयास के साथ, अनजानेमें में अनुवाद में पाईगई कोई भी त्रुटि या चूक,, यदि कोई हो, वह अनजाने में है और किसी की भी भावना को आहत करने के लिए नहीं है और इसलिए इसे माफ किया जा सकता है।

ग्रामोदय संकल्प में प्रकाशित लेखों में लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। वे आवश्यक रूप से सरकार या उस संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जिसके लिए वे काम करते हैं। लेखक स्वयं लेखों को दिए गए तथ्यों और विचारों के लिए जिम्मेदार है।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि 'ग्रामोदय संकल्प' पत्रिका का 12वां अंक **'जन योजना अभियान-सबकी योजना सबका विकास'** विषय पर प्रकाशित किया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए गांव के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिदेशित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास का एक सर्व समावेशी-सर्व स्पर्शी-विकासोन्मुखी ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए वर्ष-2018 से प्रत्येक वर्ष जन योजना अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर चलाया जाता है।

इस वर्ष भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर, 2021 से उनकी पुण्य तिथि 31 जनवरी, 2022 तक संपूर्ण देश में 'जन योजना अभियान' चलाया गया और यह प्रशंसा का विषय है कि वर्ष 2022-23 के लिए 2 लाख 25 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों, 3,305 ब्लॉक पंचायतों एवं 242 जिला पंचायतों ने अपनी विकास योजनाएं बनाकर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की है।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर उन्हें वर्ष-2030 तक प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक इकाई 'ग्राम पंचायतों' को एक केंद्रीय और सशक्त भूमिका निभानी है। पंचायत विकास योजनाओं को इन लक्ष्यों की ओर निदेशित किया जाना आवश्यक है।

मुझे विश्वास है कि ग्रामोदय संकल्प के इस अंक की मुख्य विषय वस्तु जो कि जन योजना अभियान एवं इस अभियान के अंतर्गत पंचायत विकास योजना की तैयारी हेतु आयोजित राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं ग्रामीण जन के लिए अपने भविष्य की विकास योजनाओं की तैयारी के लिए उपयोगी साबित होगी।

(गिरिराज सिंह)

Office : 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax : 011-23070309
Resi. : 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

कपिल मोरेश्वर पाटील
राज्य मंत्री
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

KAPIL MORESHWAR PATIL
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि 'ग्रामोदय संकल्प' का यह अंक **'जन योजना अभियान-सबकी योजना सबका विकास'** की विषय वस्तु पर केंद्रित है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी पंचायतें जितनी सशक्त होगी, यह नागरिकों के लिए उतना ही बेहतर होगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने विकेंद्रीकरण की शक्ति को गति प्रदान करते हुए पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियों का हस्तांतरण किया है।

जमीनी स्तर पर विकास के लिए योजना प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिवर्ष पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जन योजना अभियान (पीपीसी) का आयोजन किया जाता है। इस अभियान के माध्यम से एक समग्र पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिकी संतुलन, जन सेवा वितरण, सुशासन आदि हैं। योजना वर्ष 2022-23 के लिए जन योजना अभियान 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया।

चूंकि यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, जन योजना अभियान भी पूर्ण उत्साह एवं तीव्र गति के साथ पूर्ण जनभागीदारी की भावना से मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर उन्हें ग्रामीण स्थानीय निकाय स्तर पर प्राप्त करने का उद्देश्य भी इस अभियान में शामिल रहा।

मुझे विश्वास है कि ग्रामोदय संकल्प का यह अंक जन योजना अभियान और पंचायत विकास योजना से संबंधित सूचनाओं, जानकारी को पंचायतों, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों तक पहुंचाकर उन्हें आगामी भविष्य में अपने गांव की एक सशक्त पंचायत योजना निर्माण के लिए प्रेरित करेगा।

(कपिल मोरेश्वर पाटील)

Office: Room No. 392, 'E' Wing, 3rd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Residence: 05, Duplex North Avenue, New Delhi-110001
Phone: 011-23782143, 23782548, 23782518 E-mail Id: mospanchayatiraj@gmail.com

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
SUNIL KUMAR, IAS

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

संदेश

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका, "ग्रामोदय संकल्प" का उद्देश्य सरकार की योजनाओं के विभिन्न पहलुओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुकरणीय मॉडल और सफलता की कहानियों को ग्रामीण नागरिकों विशेषकर ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों तक पहुंचाकर उनकी शासन क्षमता का निर्माण करना है।

गांवों के समग्र विकास के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आधारभूत प्रावधान है। पंचायती राज मंत्रालय 2018 से जन भागीदारी के लिए एक अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को बढ़ावा दे रहा है, जिसे 'जन योजना अभियान' (पीपीसी) कहा जाता है। ग्रामोदय संकल्प का 12 वां अंक जन योजना अभियान पर केंद्रित है।

2 अक्टूबर 2018 से भारत सरकार द्वारा जन योजना अभियान की शुरूआत की गई, जिसमें सभी 29 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। अभियान के पहले वर्ष में वर्ष 2019-20 के लिए कुल 2.39 लाख ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की गई। यह अभियान अब पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए सभी पंचायतों- ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर तक बढ़ा दिया गया है। जन योजना अभियान के माध्यम से वर्ष 2022-23 के लिए 2.55 लाख ग्राम पंचायतों, 3,305 ब्लॉक पंचायतो एवं 242 जिला पंचायतों ने अपनी पंचायत विकास योजना तैयार करके ग्रामसभा के माध्यम से उसे अनुमोदित किया है।

ग्रामोदय संकल्प के इस अंक में जन योजना अभियान एवं पंचायत विकास योजनाओं तैयारी हेतु आयोजित राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं की जानकारी के साथ जन योजना अभियान से संबंधित गतिविधियों को व्यापक रूप से समाहित किया गया है।

मुझे विश्वास है कि ग्रामोदय संकल्प का यह अंक पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं ग्रामीणजन के लिए उपयोगी साबित होगा।

(सुनील कुमार)

कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001, KRISHI BHAWAN,DR. RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI-110001
Tel. : 011-23389008, 23074309 Fax : 011-23389028 E-mail : secy-mopr@nic.in

ग्राम पंचायत विकास योजना: आवश्यकता और परिणाम

*पंचायती राज मंत्रालय

विकास की एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आई पंचायती राज प्रणाली भारत में विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को दर्शाती है। पंचायती राज संस्थाएं (PRI) जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रमुख साधन हैं और ग्रामीण विकास और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करती हैं। पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के संस्थानों के रूप में देखा जा सकता है जो परियोजनाऔरविकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुविधाजन क बनाएगा।

ग्रामीणों के जीवन के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं का विकास और सबसे ऊपर, ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास शामिल है। एक तथ्य के रूप में, ग्रामीण विकास विभिन्न भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों के बीच संचालन का एक अंतिम परिणाम है। यह भी देखा गया है कि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया सभी राज्यों में अत्यधिक परिवर्तनशील रही है। पंचायती राज मंत्रालय मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का उपयोग करने और परियोजना अभ्यास के दौरान महत्वपूर्ण अंतर की पहचान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी करता है।

मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में पहला जन योजना अभियान शुरू किया था। इस वर्ष, यह अभियान 02 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और 31 जनवरी 2022 तक चला ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 क्षेत्रों, जिन्हें पंचायतों को हस्तांतरित करने और स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार अन्य लाइन विभागों द्वारा अन्य विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों/पहलों को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है, के समन्वय के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी, और एकीकृत योजना तैयार करना अभियान का अंतिम उद्देश्य है। 2018 के बाद से, अभियान के पिछले तीन वर्षों से, 91% से अधिक ग्राम पंचायतों ने अगले वर्ष के लिए सफलता पूर्वक अपने GPDP बनाए हैं। 2020 के लिए, पंचायतीराज मंत्रालय ने रिकॉर्ड 95% संख्या GPGPDP के साथ हासिल की।

अभियान के दौरान, स्थानीय क्षेत्र परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की गई हैं। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और राज्य के संबंधित लाइन विभागों के बीच समन्वय के माध्यम से ग्राम सभा स्तर पर योजना बनाने के लिए एक गहन और संरचित अभ्यास रहा है। अभियान में प्रभावी ढंग से भाग लेने वाले कुछ शीर्ष लाइन विभाग हैं: ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग।

इन योजनाओं में सभी आर्थिक, सामाजिक और भौतिक मापदंडों को शामिल किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में लक्ष्य रखा जाता है। GPDP परियोजना प्रक्रिया ग्रामीण भारत में तीन परस्पर संबंधित आयामों में मौजूद विकास चुनौतियों को लक्षित करती है।

A. **आर्थिक आयाम:** गरीबी कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना। गरीब और कम आय वाले ग्रामीण परिवारों को देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया में भाग लेने और लाभान्वित होने के लिए क्षमता और अवसर दोनों प्रदान करना।

B. **सामाजिक आयाम:** गरीब और कम आय वाले परिवारों और वंचित समूहों का सामाजिक विकास, सामाजिक संकेतकों में असमानताओं को दूर करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और कमजोर समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

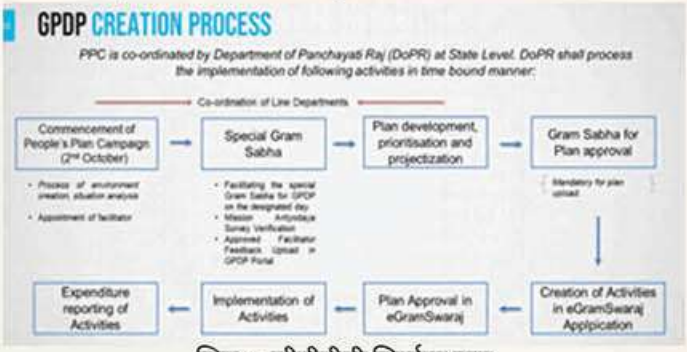

चित्र 1: जीपीडीपी निर्माण चक्र

C. **राजनीतिक आयाम:** महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों सहित ग्रामीण क्षेत्रोंमें गरीब और कम आय वाले लोगों को ग्रामीण स्तर पर पंचायत प्रक्रियाओं और उससे आगे में प्रभावी ढंग से और समान रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करना।

इस अभियान ने प्रभावी ग्राम सभा में डे-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के तहत 31 लाख निर्वाचित पंचायत नेताओं और 5.25 करोड़ SHG महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया है। ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाने वाले लोक सूचना बोर्डों से विभिन्न योजनाओं के तहत विकास के लिए ग्राम पंचायतों के निपटान में रखी गई धनराशि के उपयोग के संबंध में पारदर्शिता आएगी। मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर ग्राम पंचायतों की रैंकिंग से गांवऔर ग्राम पंचायत स्तर पर अंतर की पहचान करने में मदद मिलेगी और जीपीडीपी के लिए साक्ष्य-आधारित योजना और कार्यान्वयन पर व्यवस्थित जोर देने में मदद मिलेगी।

भारत की ग्रामीण आबादी के उत्थान करने के लिए, पंचायतों को अपने 'संकल्प' के रूप में कम से कम एक सतत विकास लक्ष्य (SDG) का चयन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। ताकि उसी दिशा में विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजना (VPRP) को शामिल करने के लिए एक निर्देश भी जारी किया गया है। वीपीआरपी, ग्राम विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है जिसमें गरीबी से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती हैं। इन समस्याओं की पहचान स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा की जाती है जिन पर बाद में ग्राम सभा में चर्चा की जाती है। सभी ग्राम पंचायतों को अभियान अवधि के दौरान दो ग्राम सभाओं का संचालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को सलाह दी जाती है कि वे जागरूकता फैलाने के लिए सोशल और प्रिंट मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करें और ग्राम सभाओं में भाग लेने के लिए नागरिकों को बड़े पैमाने पर जुटाना शुरू करें। ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए न्यूनतम 10% कोरम की सलाह दी गई है।

सतत विकास के लिए तथ्य संचालित दृष्टिकोण के साथ, सभी ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम मानचित्र, GIS आधारित परियोजना अनुप्रयोग को भी अपनाया गया है। ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन में परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग को अनिवार्य किया गया है।

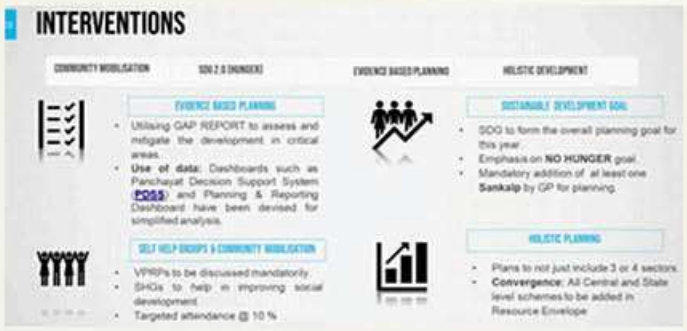

चित्र 2: जीपीडीपी में सुधार के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किए गए हस्तक्षेप

राज्यों, जिला, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में परियोजना की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए पंचायतों को कई संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इन विश्लेषणात्मक संसाधनों के साथ, पंचायती राज संस्थाओं के पास अधिकतम संसाधन और ग्राम पंचायतों में शुरू की जाने वाली गतिविधियों का 360 डिग्री दृश्य होगा।

बिबरण	2018	2019	2020	2021
जीपीडीपी की संख्या	2,50,079	2,46,998	2,56,122	2,40,618
गतिविधियों की संख्या	90,89,965	82,00,092	58,30,222	85,32,382
बजट राशि(करोड़ मे)	1,91,121	1,65,023	1,37,438	1,02,200

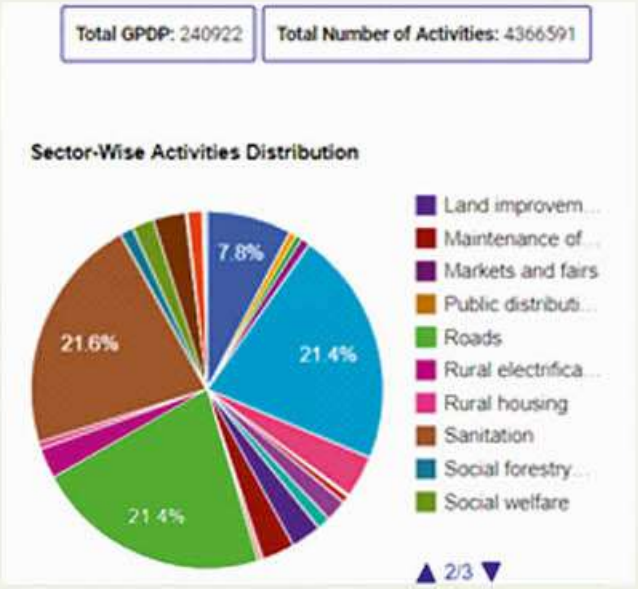

पश्चिम बंगाल के एक गांव के लिए एक मानक जीपीडीपी को यहां देखा जा सकता है। ग्राम पंचायत ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सड़क, स्वच्छता, प्रशासनिक सहायता और पेयजल जैसे क्षेत्रों में 88 गतिविधियां की है। इस ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम संसाधन राशि 2.76 करोड़ रुपये है। जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और स्वयं की निधियां शामिल हैं।

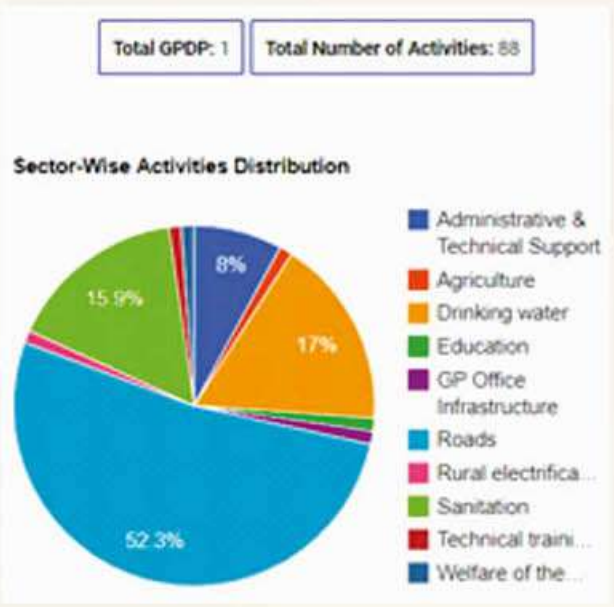

चित्र 3: देशभर में गतिविधि वितरण की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

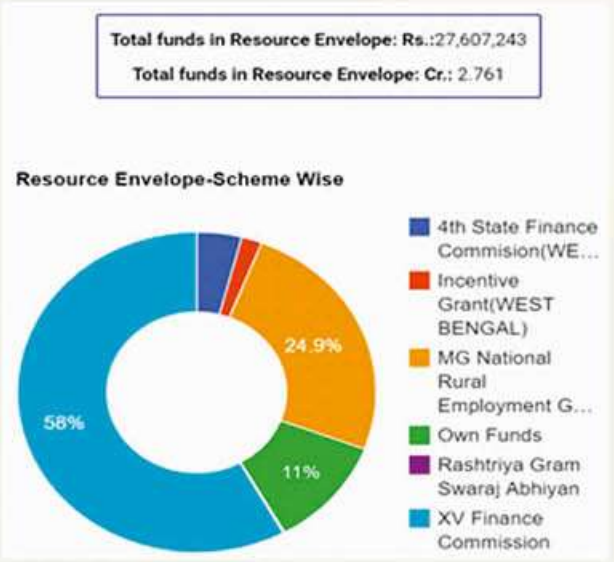

सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं को शामिल करके समग्र योजना सुनिश्चित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों को इस वर्ष के लिए प्राप्त धन राशि को जोड़ने के लिए अनिवार्य किया है। जिलों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने ग्राम पंचायतों की मदद और सहायता करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) भी पंचायती राज संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराने में पंचायती राज मंत्रालय का एक सहयोगी रहा है। तथ्य के लाभ और उपयोग और योजनाओं के समन्वय / संमिलन पर ध्यान देने के साथ नोडल अधिकारियों और सहायक के प्रशिक्षण को पूरे प्रशिक्षण में प्राथमिकता गया है।

जन योजना अभियान 2021 पर राष्ट्रीय स्तर की ओरिएंटेशन कार्यशाला

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

परिचय

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी आयोजना और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के सहयोग से दिशानिर्देश और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। जन योजना अभियान का दूसरा चरण 2 अक्टूबर 2019 को बहुत उत्साह और उत्साह के साथ शुरू किया गया था। ग्राम पंचायतों के योजनाकारों को व्यापक जीपीडीपी तैयार करने में मदद करने के उद्देश्य से देश भर में दो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं और पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में जन योजना अभियान ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जन योजना अभियान से संबंधित गतिविधियों को पूरा करते समय अपने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार किए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया गया था। जन योजना अभियान-2021 पर पहली राष्ट्रीय स्तर की ओरिएंटेशन कार्यशाला 13 सितंबर 2021 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित की गई, ताकि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक क्रमशः एक व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), ब्लॉक पंचायत विकास योजना (BPDP) और जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) तैयार करने के लिए देश भर में अभियान चलाया जा सके।.

।उद्घाटन सत्र
स्वागत भाषण:

एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी संसाधन, व्यक्तियों, फेकल्टी सदस्यों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया और राष्ट्रीय कार्यशाला के संदर्भ को समझाया। उन्होंने इस वर्ष के जन योजना अभियान के विस्तारित दायरे पर प्रकाश डाला, जिसमे पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों को पहली बार इसके दायरे में लाया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि एनआईआरडीपीपीआर गतिविधियों के प्रोजेक्टाइजेशन के लिए PMI (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया), वित्तीय विश्लेषण के लिए ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) जैसे प्रसिद्ध संस्थानों के साथ विभिन्न साझेदारियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

जन योजना अभियान 2021 - एक अवलोकन:

राष्ट्रीय कार्यशाला की दिशा तय करने के लिए श्रीमती रेखा यादव, संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय ने जीपीडीपी की पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, प्रक्रियाओं, वर्षों से हुई प्रगति और बीपीडीपी एवं डीपीडीपी की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया।

उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय का विजन प्रस्तुत किया और उल्लेख किया कि " ग्रामीण परिवर्तन का आधार पंचायतों के स्तर पर है और धन के हस्तांतरण में वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है

इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि इस तथ्य को महसूस करने के बाद कि केवल पंद्रहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देश पर्याप्त नहीं थे, जन योजना अभियान को मिशन मोड में शुरू किया गया था । जन योजना अभियान को अपनाने के बाद, अपलोड किए गए जीपीडीपी की संख्या 2018 में 59,000 से बढ़कर 2,50,000 हो गई है।

उन्होंने पिछले जन योजना अभियानों से मिली सीख पर प्रकाश डाला जैसे कि, ग्राम सभाओं की कमी, कम उपस्थिति, लाइन विभागों की कम भागीदारी, सीमित क्षेत्रों के लिए असंगत आवंटन और जीपीडीपी गतिविधियों का धीमा कार्यान्वयन ।

जन योजना अभियान 2021 के लिए प्रसंग की स्थापना :

डॉ. चन्द्रशेखर कुमार, अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, ने पंचायतों को पीएफएमएस (PFMS) जैसे नए उपायों की शुरूआत पर हासिल उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की, जिसमें इसके माध्यम से 59,000 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए। उन्होंने उन राज्यों से जो इस सिस्टम पर नहीं हैं, वे जल्द से जल्द इसे अपनाने के लिए भी अनुरोध किया।

उन्होंने बल दिया कि ब्लाक / जिला और राज्यस्तर पर PAMU गुढ़वता मे सुधर के लिए पूरी तरह कार्ययाताम्क बनाने कि आवश्यकता है।

पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी कामकाज ग्रामीण-शहरी अंतर को घटा सकता है - सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा,सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

भाषण की शुरुआत में श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा , सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जन योजना अभियान अभियान की पहल के लिए पंचायती राज मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर को धन्यवाद दिया और उन्होंने बिहार का एक उदाहरण देते हुए स्थानीय स्वामित्व के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समुचित रूप से किए जाने वाले नियंत्रण की सीमा संस्थानों के वितरण के तरीके में बड़ा बदलाव लाने वाली है। उन्होंने उल्लेख किया कि ग्रामीण-शहरी अंतर विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के स्तर के साथ-साथ शासन की गुणवत्ता, क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं के स्तर के कारण होता है। पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी कामकाज इन ग्रामीण-शहरी अंतर को घटा सकता है

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य एक ढांचा हैं, और उन्हें ग्राम पंचायतों और स्थानीय सरकार के अन्य स्तरों के दृष्टिकोण के संदर्भ में ठोस बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार और विभागों के विभिन्न स्तरों को आजीविका और रोजगार के अवसरों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

जन योजना अभियान 2021 के लिए सभी स्तरों पर हजारों जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रयासों की आवश्यकता है - सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, ने कहा कि जन योजना अभियान की शुरूआत के समय से ही हमने इसमें जो प्रयास किए हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और हम उड़ान भरने के चरण में हैं। उन्होंने बुनियादी ढांचे की कठिनाइयों के बावजूद जीपीडीपी के ऑन बोर्डिंग और पीएफएमएस को अपनाने के संदर्भ में ग्राम पंचायतों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि कोविड-19 भी योजना तैयार करने में बेहतर परिणाम प्राप्त करने से नहीं रोक सका।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव, ने कहा कि जन योजना अभियान 2021 में सभी स्तरों पर हजारों जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रयासों की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास आदि अन्य लाइन मंत्रालयों के लिए। स्व सहायता समूह सदस्य ग्राम सभा की भागीदारी को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा के संबंध में स्वयं सहायता समूहों की धारणा बदलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मतदाताओं की 10 प्रतिशत भागीदारी को साथ ग्राम सभा को जीवंत बनाने के लिए जारी नवीनतम परामर्श अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि पंचायत अध्यक्ष या पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के पर्याय हैं। उनके बीच सांठगांठ को तोड़ा जाना चाहिए, और ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा आबादी तक पहुंचना चाहिए और उनकी जरूरतों को पंचायत के भीतर संसाधनों की पहचान करके पूरा करना चाहिए।

लाइन मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुति

श्रीमती नीता केजरीवाल, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय

- उन्होंने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना (VPRP) की आवश्यकता, तैयारी की प्रक्रिया और प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि लगभग 1.1 करोड़ SHG सदस्यों ने ग्राम सभा में भाग लिया।
- उन्होंने उल्लेख किया कि स्वयं सहायता समूह (SHG) और उनके ग्राम संगठन (VO), प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के सहायता के माध्यम से वीपीआरपी तैयार करेंगे। वीपीआरपी को जीपीडीपी के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे केंद्र और राज्य स्तर पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो सकेगा। इसका उपयोग जीपीडीपी की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन को प्राप्त करने में किया जाना चाहिए।

श्री मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय

- उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं, प्रमुख हस्तक्षेपों और समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा की।
- उन्होंने स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना समग्र शिक्षा, के तहत विभिन्न अंशों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि कार्यक्रम के 11 अंश हैं और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप है।
- उन्होंने विभिन्न हस्तक्षेपओं और समन्वय के भविष्य के दायरे के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ समग्र शिक्षा के तहत चल रहे अभिसरण प्रयासों पर जोर दिया।
- उन्होंने शून्य ड्रॉपआउट और स्थानीय स्तर पर कोई स्कूल न जाने वाला बच्चा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय सरकारों के महत्व पर भी जोर दिया।

श्री अतुल कोतवाल, कार्यकारी निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- उन्होंने अपने सत्र की शुरुआत सामान्य रूप से स्वास्थ्य के से निर्धारक की और आगे वर्तमान स्वास्थ्य सेवा वितरण संरचना, उपलब्ध स्वास्थ्य योजनाएं और देश में कार्यान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे मे बताया
- उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिसमें परियोजना, असमानताओं को दूर करना, जागरूकता बढ़ाना और समुदायों को जुटाना और क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।
- उन्होंने आयुष्मान मित्र के रूप में नामांकन के लिए समुदाय के सदस्यों की एक सेना को प्रोत्साहित करने और बनाने के महत्व

पर जोर दिया, जो कंप्यूटर के इस्तिमाल जानते हों। ये आयुष्मान मित्र समुदाय में आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाय के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करेंगे।

- उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /दिव्यांगों जैसे कमजोर वर्गों के आवेदकों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि स्व सहायता समूहों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की स्थापना की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए

श्री डी चंद्रशेखर, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

- उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पीएमईजीपी (**PMEGP**), एसएफयूआरटीआई (**SFURTI**), एएसपीईआरई (**ASPIRE**), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि उल्लिखित कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए समन्वय के अवसरों की बहुत गुंजाइश है।
- उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उपरोक्त योजनाओं / कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से देश भर में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी, जो पंचायती राज मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य है।
- उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं **SFURTI** क्लस्टरों के लिए कार्यान्वयन संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, कारीगरों और अन्य आश्रित हितधारकों को एक साथ ला सकते हैं ताकि प्रभाव को अधिकतम किया जा सके।

डॉ. सी. पी. रेड्डी, सीनियर अतिरिक्त कमिशनर (*WD*) भूमि संसाधन विभाग

- उन्होंने भारत में वर्षा सिंचित कृषि की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के **84** प्रतिशत ग्रामीण गरीब, जिनमें अधिकांश आदिवासी आबादी भी शामिल है, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में रहते हैं।
- उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास अंश (**WDC-PMKSY**) के महत्व और विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला
- उन्होंने वाटरशेड प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वाटरशेड समितियां (**WC**) ग्रामीण स्तर पर हैं, और ग्रामसभा वाटरशेड समिति के माध्यम से, उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। यह स्थिरता को मजबूत करेगा

श्री अरुण बरोका, अतिरिक्त सचिव, जलशक्ति मंत्राल

- उन्होंने ग्रामीण स्थानीय निकायों (**RLB**) में स्वच्छता में सुधार के लिए **15**वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करने की विभिन्न बारीकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (**SBM-G**) राज्यों और ग्रामीण निकायों के प्रयासों में सहायता करने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- उन्होंने बताया कि, अब हम स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में हैं, जिसका उद्देश्य **2024-25** तक ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना होगा।
- उन्होंने उल्लेख किया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मुख्य रूप से कई वित्त पोषण स्त्रोतों के साथ अभिसरण पर आधारित है, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए एसबीएम-ग्रामीण के लिए आवंटित बजट, स्थानीय ग्रामीण निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदान शामिल है।
- उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और **15**वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदानों का समन्वय एसबीएम (ग्रा) के तहत निर्धारित लक्ष्य की सफलता और स्वच्छता के लिए स्थानीय ग्रामीण निकायों को अनुबंदित अनुदान के आवंटन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोपरि है।
- स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए,

  - 2021-22 और 2022-23 के दौरान प्राप्त करने के लिए, कम से कम **25** प्रतिशत स्थानीय ग्रामीण निकायों के पास पिछले वर्ष के लिए अपने अनंतिम खाते होने चाहिए और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के लिए लेखा परीक्षित खाते होने चाहिए, जो सार्वजनिक स्तर में ऑनलाइन उपलब्ध हों। 2023-24 से प्राप्त करने के लिए, RLB के पास अनिवार्य रूप से 100 प्रतिशत अनंतिम और लेखा परीक्षित खाते ऑनलाइन उपलब्ध होने होंगे।
  - जिन राज्यों ने अभी तक राज्य वित्त आयोग (**SFC**) का गठन नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए और मार्च, 2024 को या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष उन पर की गई कार्रवाई के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन रखना चाहिए। मार्च, 2024 के बाद, ऐसे राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिसने इन शर्तों का पालन नहीं किया है
  - अनुबध अनुदान प्राप्त करने के लिए;
  - स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के लिए गांव/ब्लॉक/जिले की वार्षिक कार्य योजनाएं जीपीडीपी/बीपीडपी/डीपीडपी में परिलक्षित होती हैं और ई-ग्रामस्वराज में अपलोड की जाती हैं
  - अनुबध अनुदान उपयोग का विवरण ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड किया गया है।

5.साक्ष्य-आधारित और तथ्य -संचालित पंचायत योजना

डॉ अंजन कुमार भांजा, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर

- उन्होंने पंचायत स्तर पर साक्ष्य आधारित योजना की आवश्यकता को समझाया और उल्लेख किया है कि जमीनी वास्तविकताओं और वास्तविक जरूरतों के प्रमाण के रूप में आवश्यक और पर्याप्त तथ्य का उपयोग करके योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
- उन्होंने कहा कि पंचायतों और आम लोगों के बीच सूचना का बड़ा और बढ़ता अंतर है।
- उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य , सूचना और ज्ञान का उपयोग यथार्थवादी निर्णय लेने के लिए किया जाता है और ग्रामीणों के जीवन और आजीविका के बारे में अच्छी और सच्ची जानकारी, गुणवत्ता योजना का आधार है।
  - उन्होंने सहायक तथ्य के विभिन्न स्रोतों पर भी प्रकाश डाला जिनका उपयोग योजना के लिए किया जा सकता है और जीपीडीपी /बीपीडीपी/डीपीडीपी तैयार करने में उनकी प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला। **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वार PPC 2020 के अनुभव को साझा करना**

➢ **महाराष्ट्र**

1. सभी ब्लॉकों के लिए राज्य नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारियों के साथ-साथ ब्लॉक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए।
2. सभी ग्राम पंचायत स्तर पर सहायकों को को नियुक्त किया गया।
3. क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत सुविधा दलों, सभी ग्राम पंचायत सदस्यों, स्व सहायकता समूह अध्यक्षों और सदस्यों के प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे।
4. जन योजना अभियान के तहत लगभग सभी कार्यकलाप पूरे हो गए हैं, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स का नामांकन, डाटा सत्यापन, फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट आदि।
5. महामारी की स्थिति के कारण 2020 के दौरान कोई ग्राम सभा आयोजित नहीं की गई थी और सभी योजनाओं को ग्राम पंचायत की बैठकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।
6. सुविधा प्रदाताओं को भुगतान नरेगा से उपलब्ध नहीं कराया जाता है

➢ **हिमाचल प्रदेश**

1. राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और उन्हें जीपीडपी की समग्र प्रगति की निगरानी करने और पंचायती राज मंत्रालय के साथ विभिन्न संचारों का काम सौंपा गया।
2. विभिन्न लाइन विभागों के लिए जिला नोडल अधिकारी भी नियुक्त और अधिसूचित किए गए।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सहायक नियुक्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य में, पंचायत सचिव इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त हैं, इसलिए उन्हें सहायकओं के रूप में नियुक्त किया गया था।
4. सामुदायिक लामबंदी के लिए, भागीदारी के साथ-साथ एजेंडा का प्रसार के लिए तकनीकी विकल्पों जैसे व्हाट्सएप ग्रुप और एसएमएस-गेटवे आदि बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। जनसमूह जुटाने के लिए आकाश वाणी के माध्यम से नारे लगाए गए।

➢ **केरल**

1. केरल ने जन योजना अभियान 2020 का आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित किया।

a. परियोजना में जनभागीदारी
b.. स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता
c. स्थानीय विकास परिप्रेक्ष्य
d. संसाधनों का प्रभावी उपयोग
e. सामाजिक समावेश
f. समन्वय और एकीकरण
g. दक्षता और परिणाम।

2. जन योजना अभियान 2020 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां

a. सामाजिक सुरक्षा- जीपीपडीपी के माध्यम से दिव्यांगों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर आदि की सहायता करना
b. महिला सशक्तिकरण - महिलाओं के लिए आरक्षण पर जोर, और सामुदायिक विकास में उनकी भागीदारी,
c. शिक्षा - स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास, स्मार्ट क्लास रूम और शिक्षा कायाकल्प मिशन के साथ आना ।
d. स्वास्थ्य - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र /परिवार स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में डोर स्टेप सेवा आदि।

3. **छत्तीसगढ़**

1. वंचित वर्गों के लोगों पर ध्यान केंद्रित किया।
2. वर्चुअल ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।
3. समुदाय को एकठा में प्रौद्योगिकियों का व्यापक ब्यबहार।
4. ग्राम सभा का सीधा प्रसारण लाउड स्पीकर के माध्यम से किया गया ताकि ग्राम पंचायत में हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके।
5. कार्य समूह की स्थापना की और प्रत्येक वर्ष 4 अलग-अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।
6. एक मूल्यांकन तंत्र बनाया गया और गुणवत्ता विकास योजना को प्रोत्साहित करने के लिए 50 सर्वश्रेष्ठ जीपीडपी /बीपीडपी /डीपीडपी को सम्मानित किया।

आगे की राह:

श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, ने आगे के सत्र में कार्यशाला के लिए काफी कुछ कहा। उनके द्वारा साझा किए गए विचार निम्नलिखित हैं:

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास एक दृष्टि, मिशन या संकल्प होना चाहिए कि वे इस चालू वर्ष में क्या हासिल करना चाहते हैं।
2. ग्राम पंचायत को शून्य-संसाधन आधारित लक्ष्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जहां वांछित आवश्यकता-आधारित लक्ष्य समुदाय की मदद से या ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों की मदद से प्राप्त किया जा सकता है।
3. ग्राम सभा की बैठक में भागीदारी बढ़ाएं।
4. महामारी खत्म होने के बाद महिला सभा, वार्ड सभा और बाल सभा के अलावा आम आदमी की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।
5. सभी ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्राम पंचायत सदस्यों के कम से कम 10% को ग्राम सभा में उपस्थित होने की आवश्यकता है।
6. सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्राम सभा में कमजोर लोगों की भागीदारी हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं हों।
7. ई-ग्राम स्वराज और MA पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है और उचित अंतर विश्लेषण के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर व्यय भी किया जाना चाहिए, राज्यों की आधार की परवाह किए बिना।.

8. सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न योजनाओं को ऊपर स्थानीय भाषा में 8 से 10 स्लाइडों का मानक पीपीटी बनाएं और इसे ग्राम पंचायत सचिव या कार्यकर्ताओं के साथ साझा करें। इस पीपीटी को ग्राम सभा में पढ़ने की जरूरत है।
9. सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म पर ध्यान देना चाहिए।
10. ठेके के प्रबंधन पर जोर दिया जाना चाहिए और पंप हाउस, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी अचल संपत्तियों के रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध होना चाहिए।
11. प्रत्येक पंचायती राज संस्थाओं में एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए।
12. सभी राज्यों को हाइब्रिड प्रशिक्षण सत्र तैयार करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह बहुत ही लागत प्रभावी है और यह कई लोगों तक पहुंच सकता है जो व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हैं।

8. पंचायत योजना में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

श्रीमती जयश्री रघुनंदन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु के द्वारा - सत्र का आयोजन सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए सूचनात्मक वीडियो के साथ ऑनलाइन के माध्यम से किया गया । सत्र के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:

1. इस बात पर प्रकाश डाला गया कि गरीबी हटाना, असमानता से लड़ने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की आवश्यकता है। लचीली जीपीडीपी तैयार करके इसे हासिल किया जा सकता है
2. यह भी उल्लेख किया गया कि आखिरी कदम तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने और " किसी को पीछे नहीं छोड़ना" और "कोई गांव पीछे नहीं छोड़ना " के वादे को पूरा करने के महत्व का उल्लेख किया गया
3. यह अनुभव से दिखाया गया कि जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग मानव निर्मित हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए, न केवल सभी लाइन-विभाग या ग्राम पंचायत बल्कि सभी व्यक्तियों को इस पर काम करने की आवश्यकता है।
4. इस बात पर जोर दिया गया कि ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी करते समय, ग्राम पंचायत को विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर अन्य विभागों के साथ काम करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है।
5. इस बात पर भी जोर दिया गया कि ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण में वादों को वास्तविकता में रूपांतरित कर रहे हैं।
6. उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के अलावा, अन्य विभागों को भी एसडीजी के स्थानीयकरण के महत्व को समझने की आवश्यकता है और सभी को पारस्परिक तरीके से एसडीजी के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए।

भारत-गंगा के मैदानी राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

28-29 अक्टूबर, 2021 - भोपाल, मध्य प्रदेश

1. पृष्ठभूमि

इस जन योजना अभियान के एक भाग के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से अभियान के सफल रोल-आउट के लिए राज्यों सहित सभी हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों की श्रृंखला का आयोजन किया। भारत-गंगा के मैदानी राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला 28-29 अक्टूबर, 2021 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई।

भारत-गंगा के मैदानी राज्यों में बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। भारत-गंगा के मैदानी राज्यों में काम करने वाले निम्नलिखित संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इस कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही कार्यकलापों को साझा किया जा सके और परियोजना प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों के साथ काम करने के अवसरों पर चर्चा की जा सके।

1. जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
2. डे-एनआरएलएम और डीडीयू-जीकेवाय, ग्रामीण विकास मंत्रालय
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय - पोषण अभियान के लिए
5. कुदुम्बश्री-एनआरओ
6. यूएन वूमन - क्षेत्रीय कार्यालय
7. आईसीएआर- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI), जबलपुर, मध्य प्रदेश
8. शिक्षा मंत्रालय
9. समर्थन- सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, भोपाल
10. सीएसआईआर - केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान (CIMAP), लखनऊ
11. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – नई दिल्ली

2. कार्यवाही

2.1 उद्घाटनी सत्र

कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन व अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत के साथ किया गया। श्री आलोक कुमार सिंह, संचालक पंचायती राज, मध्यप्रदेश ने कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित योजनाओं के लिए यह महत्वपूर्ण कार्यशाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दो दिवसीय कार्यशाला की सीख सभी प्रतिभागियों के लिए फायदेमंद होगी और उम्मीद है कि इस कार्यशाला में साझा की जाने वाली सर्वोत्तम अभ्यासों को क्षेत्र के सभी राज्यों द्वारा अपनाया जाएगा।

कार्यशाला के स्वागत भाषण के बाद डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी।

उन्होंने उल्लेख किया कि जीपीडीपी अभियान जिसे जन जोजना अभियान के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। अभियान की शुरुआत से ही एनआईआरडीपीआर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है। यह क्षेत्रीय स्तर की कार्यशाला भारत-गंगा के मैदानी राज्यों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने का हिस्सा है। इस क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला मुख्य रूप से पंचायतों के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है क्योंकि कृषि आधारित गतिविधि इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों की प्रमुख गतिविधि है। क्यूंकि देश के प्रत्येक क्षेत्र के लिए योजना एक दूसरों से अलग है, इसलिए इन कार्यशालाओं को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर आयोजित किया जा रहा है। इस क्षेत्रीय कार्यशाला से पहले राष्ट्रीय स्तर पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।

कार्यशाला का अवलोकन पंचायत राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव ने प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस बार हम इस वर्ष निर्धारित प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यशाला में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि ग्रामीण आमतौर पर रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में शहरी क्षेत्र में पलायन करते हैं, हालांकि पंचायत स्तर पर उचित योजना बनाने पर सभी पंचायतें ग्राम स्तर पर ये सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा और अनुभवी निर्वाचित प्रतिनिधियों में ग्रामीण विकास का चेहरा बदलने की क्षमता है और यह सब बेहतर योजना, निष्पादन और निगरानी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

श्री सुनील कुमार सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने प्रतिभागियों को वीसी के माध्यम से संबोधित किया

पंचायती राज मंत्रालय में सचिव **श्री सुनील कुमार** ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर जोर दिया कि पंचायतों के पास विकासात्मक परिवर्तनों का दृष्टिकोण होना चाहिए जो वे अपनी पंचायतों में देखना चाहते हैं।

लोगों की आवश्यकता के अनुसार विकास परिवर्तन की योजना बनाई जानी चाहिए और समाज के सभी लोगों जैसे दिहाड़ी मजदूर, किसान, बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग लोगों को योजना प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेना चाहिए। पंचायत को परियोजना प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वंय के राजस्व स्त्रोत (OSR), 15वें वित्त आयोग से प्राप्त निधियों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसे आय के स्त्रोतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पंचायत को नए कार्य की योजना शुरू करने के बजाय चल रहे कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब पंचायतों का ध्यान परियोजना की मात्रा पे नहीं होना चाहिए, बल्कि यह गुणात्मक होना चाहिए। पिछले वर्ष के दौरान पंचायतों द्वारा शुरू किए गए कार्यों की नियमित निगरानी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। सरकार की निगरानी प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष से मंत्रालय ने ईग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे आंकड़ों का विश्लेषण शुरू कर दिया है, मिशन अंत्योदय तथ्य द्वारा पहचाने गए अंतर की नियमित निगरानी भी की जा रही है।

उद्घाटन भाषण के बाद सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'सहभागी ग्राम विकास योजना प्रक्रिया' पर प्रशिक्षण मैनुअल और जीपीडपी और ओएसआर (मप्र सरकार द्वारा तैयार) पर लघु फिल्में जारी की गईं।

श्रीमती शिवानी वर्मा, संयुक्त संचालक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

'भागीदारी ग्राम विकास योजना प्रक्रिया' पर ट्रैनिंग मैन्युअल जारी किया गया

2.2 तकनीकी सत्र I: पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए जन योजना अभियान

श्रीमती रेखा यादव, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने 2018 में अभियान शुरू होने के बाद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए जन योजना अभियान पर एक विवरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि जनयोजना अभियान की परियोजना प्रक्रिया वास्तव में वर्ष 2014 में पंचायतों को 14 वें वित्त आयोग के अनुदान के हस्तांतरण के साथ शुरू हुई थी।

पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से पता चला है कि देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अब मात्रा के बजाय जीपीडीपी की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अभियान के अनूठे तत्व ई-ग्राम स्वराज पहल हैं , ग्राम सभाएं, सहायक, मिशन अंत्योदय तथ्य और जीपीडपी अपलोड करने के लिए ।

जन योजना अभियान के अवलोकन पर प्रस्तुति मे निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया :

- मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य विशेष ग्राम सभा से अधिक आयोजन कर रहे हैं:
- लाइन विभागों में केवल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं परिवार एवं कल्याण विभाग ग्राम पंचायत योजना तैयार करने में भाग ले रहे हैं। पशुपालन और डेयरी, पेयजल और स्वच्छता बिभाग की भागीदारी बहुत कम है।
- जीपीडीपी तैयार करने में ग्राम गरीबी उन्मूलन योजनाओं (VPRP)

को शामिल करना अनिवार्य होगा।

- प्रमुख वित्यय संसाधन, पंद्रहवें वित्त आयोग, मनरेगा और राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध हैं। फ्लैगशिप योजनाओं और संबंधित मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध धन राशि गायब है।
- जीपीडीपी में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और जल संरक्षण को कम शामिल करना।
- वर्तमान में चल रही ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी केवल 4.43% है। ग्राम सभाओं में स्व सहायता समूहों की भागीदारी 92% है।
- देश भर में अब तक आयोजित कुल 14,310 ग्राम सभाओं में से अधिकतम भागीदारी केवल शिक्षा विभाग द्वारा 62% और अन्य लाइन विभागों विभाग द्वारा बहुत कम भागीदारी है अर्थात् क्रमशः जल संसाधन 2% और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा 1%।
- पर्यटन मंत्रालय के लिए साक्ष्य आधारित योजना, स्वयं सहायक समूह और सामुदायिक लामबंदी, सतत विकास लक्ष्यों और समग्र योजना जैसे हस्तक्षेपों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई

श्री विप्र गोयल, सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय, द्वारा दूसरी प्रस्तुति में एकीकृत पंचायत परियोजना के लिए आधुनिक आईईसी गतिविधियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जन योजना अभियान के 5 सिद्धांत हैं:

- निष्पक्षता
- तकनीकी विशेषज्ञता
- जागरूकता
- सामुदायिक सहभागिता
- सतर्कता

इस बात पर जोर दिया गया कि उपरोक्त सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आधुनिक आईईसी (IEC) रणनीति की आवश्यकता है:

सत्र की तीसरी प्रस्तुति डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर ने 'एसडीजी का स्थानीयकरण: जीपीडीपी के साथ एसडीजी को एकीकृत करना' विषय पर प्रस्तुत की।

प्रस्तुति में उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जीपीडीपी के साथ सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत करने के लिए किसी विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है, केवल जीपीडपी के माध्यम से एसडीजी को स्थानीयकृत करने के लिए परियोजना के एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों पर 2019 की नीति आयोग रिपोर्ट का हवाला दिया और समझाया कि कैसे स्थानीय सरकार बॉटम अप दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धि का समर्थन कर सकती है और सतत विकास लक्ष्य,स्थानीय विकास नीति के लिए कैसे एक ढांचा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और 9 वर्ष हैं और यह पंचायती राज प्रणाली के सभी तीन स्तरों की भागीदारी के साथ ही किया जा सकता है। उन्होंने 10 एसडीजी की ओर इशारा किया जो सीधे पंचायतों से जुड़े हुए हैं और 11 वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के लिए निर्दिष्ट 29 विषयों के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी सूचीबद्ध किया जो सीधे सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी हैं। उनके द्वारा 150 लक्ष्यों और 300 संकेतकों के साथ 9 विषय, जो एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए गठित समिति की सिफारिश है, भी प्रस्तुत किए गए थे।

2.3 तकनीकी सत्र II: जन योजना अभियान - राज्यों द्वारा अनुभव साझा करना

तकनीकी सत्र 5 विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित था:

A) पंचायती राज संस्था के स्तर पर समन्वय

B) पंचायती राज और स्व सहायता समूहा का अभिसरण

C) लाइन मंत्रालयों की गतिविधि के साथ पंचायती राज संस्था का समन्वय

D) जनप्रतिनिधियों द्वारा जनभागीदारी के लिए उठाए गए कदम

E) सर्वोत्तम प्रयासों का प्रलेखन

निर्वाचित प्रतिनिधियों से कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की भागीदारी, स्वयं के राजस्व स्त्रोत का सृजन, एसडीजी के स्थानीयकरण, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों, वनीकरण और जीपीडीपी के लाभों के बारे में अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा गया था।

पंजाब: सुश्री शेषनदीप कौर, सरपंच, मानक खाना, मौड़, बठिंडा ने साझा किया कि उनकी पंचायत ने दो राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण और नानांजी देशमुख गौरव ग्राम सभा जीते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। ग्राम सभा में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने दीबार पर चित्र , डोर टू डोर मीटिंग, ग्राम सभा में भाग लेने के लिए पुरस्कार की पहल की।

श्री राजदीप संधू, सरपंच, रत्ता खेड़ा, घाल खुर्द, फिरोजपुर ने अपने अनुभव साझा किए कि उनकी पंचायत 14वें वित्त आयोग और मनरेगा से प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में कर रही है।

उत्तर प्रदेश: सुश्री प्रियंका तिवारी, प्रधान-ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खंड हाथरस, जनपद हाथरस ने अपनी अनुभव साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान अपनी पंचायत द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया जैसे कि महामारी से शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करने के लिए 100% स्वच्छता और टीकाकरण। गांव में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मध्य प्रदेश: श्री कमल पटेल, सरपंच, नवदपुरा, जिल्ला धार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, वृक्षारोपण और गौशाला के निर्माण, बच्चों के लिए शिक्षण केंद्र की स्थापना और आरओ वाटर प्लांट जैसी अपनी पंचायत की पहल को साझा किया।

श्रीमती अनुराधा जोशी सरपंच कुदरिया ग्राम पंचायत, ब्लॉक महोआ, इंदौर जिले ने अपनी पंचायत की आय बढ़ाने के लिए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने सैनिटरी पैड बनाने के लिए स्थापित इकाई के बारेमें अनुभव साझा किया, जो वर्तमान गांव की 200 महिलाओं द्वारा संचालित है।

जन योजना अभियान के तहत ग्रामसभा : ग्राम पंचायत गंगारामपुर, जिला- दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल

2.4 तकनीकी सत्र III: समग्र पंचायत योजनाओं को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्था- स्व सहायता समूह (PRI-SHG) **समन्वय**

सत्र में पंचायत विकास योजनाओं के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुश्री जुई भट्टाचार्य, राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक, डे-एनआरएलएम और डीडीयू-जीकेवाय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (VPRP) पर केंद्रित प्रस्तुति में उल्लेख किया गया कि एक परिवार जो किसी भी स्व सहायता समूह से जुड़ा नहीं है, वह भी वीपीआरपी का हिस्सा हो सकता है।

उन्होंने ग्रामीण गरीबी मुक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। वीपीआरपी के तहत शामिल विभिन्न योजनाओं में हैं

- पात्रता योजना
- आजीविका योजना
- सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाएं और संसाधन विकास योजनाएं
- सामाजिक विकास योजनाएं

उपरोक्त योजनाएं विभिन्न स्तरों पर तैयार की जाती हैं - एसएचजी स्तर, ग्राम स्तर और ग्राम पंचायत स्तरों पर। ग्रामीण गरीबी मुक्त योजनाओं के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है:

प्रस्तुति में ग्रामीण गरीबी मुक्त योजनाओं की सफलता के लिए अपनाई जाने वाली प्रमुख उपलब्धियों, चुनौतियों और रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया।

कुडुम्बश्री के प्रतिनिधियों, सुश्री मधुलिका जोशी और श्री श्रेयस कुमार राय ने उत्तर प्रदेश के जिलों में वीपीआरपी को लागू करने का अनुभव प्रस्तुत किया।

उन्होंने वर्ष 2020-21 में वीपीआरपी के लिए कुडुम्बश्री-एनआरओ की रणनीति और वीपीआरपी के तहत विभिन्न योजनाओं और उत्पन्न मांगों से प्रमुख टेकअवे पर संक्षेप में चर्चा की। वीपीआरपी के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में उनके हस्तखेप और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रभाव को भी विस्तार से साझा किया गया।

2.5 तकनीकी सत्र IV: पंचायती राज मंत्रालय की पहल

श्री खुशवंत सिंह सेठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने- ग्राम स्वराज प्राप्त करने पर प्रस्तुति दी। उन्होंने ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों की संख्या और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या का उल्लेख करते हुए देश के पंचायत आंकड़ों की झलक साझा की। तत्पश्चात् उन्होंने ग्रामीण स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोणों के बारे में बात की।

E) कट्टरपंथी मौलिक दृष्टिकोण की आवश्यकता

B) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

C) संतृप्ति के लिए योजनाओं का गहन कार्यान्वयन उदहारण-ग्राम स्वराज अभियान

D) पारदर्शिता, दक्षता और समानता सुनिश्चित करना

E) ग्रामीण स्थानीय शासन की बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम सभा को मजबूत करना

उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे पंचायतों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया और बताया कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पंचायत स्तर पर क्या करने की आवश्यकता है।बाद में उन्होंने ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों को साझा किया। ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए पंचायती राज सलाहकार समिति ने छह उप समितियों के गठन का सुझाव दिया है, प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक उप समिति की विषयवार भूमिका के बारे में भी बताया गया। अंतिम में उन्होंने डैशबोर्ड पर तथ्य अपलोड करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए जाने वाले कार्यों की ओर इशारा किया त रूप से सत्र की अगली प्रस्तुति संयुक्एनआईसी दिल्ली के तकनीकी निदेशक श्री जे.के मिश्रा और ग्राम मानचित्र आवेदन पर पंचायती राज मंत्रालय की सलाहकार सुश्री कर्णिका कौशिक द्वारा प्रस्तुत की गई।

इस सत्र की अध्यक्षता श्रीमती रेखा यादव, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने की । एनआईसी दिल्ली के तकनीकी निदेशक श्री जे.के. मिश्रा ने ग्राम पंचायत परियोजना के लिए ग्राम मानचित्र स्थानिक उपकरण के बारे में संक्षेप में समझाते हुए सत्र की शुरुआत की। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने ग्राम मानचित्र, जीपीडीपी के लिए संसाधनों की योजना और पोर्टल इंटरफेस के ऊपर प्रकाश डाला। ग्राम मंच की प्रमुख विशेषताओं के बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि यह 29 क्षेत्रों को कवर करके जीपीडीपी के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करने वाला ग्राम पंचायतों के लिए एकीकृत भू-स्थानिक मंच है; ।

पेट्रोलियम एवं जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार सुश्री कर्णिका कौशिक ने परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य एनआईसी के आंकड़ों के साथ एकीकृत नहीं हैं, जब यह एकीकरण होगा तो नकल परिसंपत्तियों के कोई संभावना नहीं होगी।

2.6 तकनीकी सत्र V: साक्ष्य आधारित योजना और पीपीसी की निगरानी

डॉ. अंजन कुमार भांजा ने अपनी प्रस्तुति में साक्ष्य आधारित और तथ्य संचालित पंचायत परियोजना की आवश्यकता पर प्रकाश

डाला।

साक्ष्य आधारित और तथ्य आधारित पंचायत परियोजना के लिए दृष्टिकोण निम्नानुसार है:

- साक्ष्य आधारित का अर्थ है कि निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य ,जानकारी और ज्ञान का उपयोग किया जाता है।
- साक्ष्य-आधारित योजना तथ्य और जानकारी से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर रही है और इसका उपयोग हमारी परियोजना प्रक्रिया को अनुकूलित करने और परिणामों में सुधार करने के लिए कर रही है।
- साक्ष्य-आधारित परियोजना में साक्ष्य का उपयोग होता है, जैसे तथ्य, सूचना और ज्ञान का उपयोग क्या किया जाना चाहिए ।
- वास्तविक जरूरतों और पंचायत परियोजना के बीच सूचना का अंतर दिखाई देता है।
- जमीनी हकीकत और वास्तविक जरूरतों के सबूत के रूप में आवश्यक और पर्याप्त तथ्य का उपयोग करके योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

इस सत्र की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री खुशवंत सिंह सेठी ने की।

2.7 तकनीकी सत्र VI: जीपीडीपी के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वय

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण **(PFRDA),** नई दिल्ली की उप महाप्रबंधक सुश्री प्रियंका गुप्ता की प्रस्तुति में भारत सरकार की एक प्रमुख योजना अटल पेंशन योजना **(APY)** के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और इससे असंगठित क्षेत्र के 88% कार्यबल 60 वर्षों के बाद गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब इस योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और वर्तमान में इस योजना की 44% लाभार्थी महिलाएं हैं। उन्होंने साझा किया कि पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA अगले 3 से 5 वर्षों में एपीवाय APY के तहत लगभग 7 करोड़ नए नामांकन को कवर करने की योजना बना रहा है। ग्राम पंचायतें APY योजना का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, इसलिए उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी राज्यों को लोगों को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली के बायोगैस प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग के वैज्ञानिक डी. एस. आर. मीणा ने किसी भी विकास गतिविधि के लिए ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने सत्र की शुरुआत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को स्मार्ट नवीकरणीय टिकाऊ ऊर्जा में बदलना है। उन्होंने कहा कि बायोगैस ऊर्जा का बहुत किफायती रूप है जो कुल 17 लक्ष्यों में से सतत विकास लक्ष्यों के 9 लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है।

डॉ. योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन-सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, भोपाल ने 1996 से पंचायती राज के साथ काम करने के लिए अपने संगठन के अनुभव को साझा किया।

उन्होंने कहा कि समन्वय केवल तभी संभव है जब लोग उन परिवर्तनों को स्वीकार करना शुरू करें जो कोई भी योजना क्षेत्र में लाना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी हितधारकों की भागीदारी से योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

श्री स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख, आईसीएआर -रायसेन ने देश भर में भारतीय कृषि परिषद द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में जानकारी देकर अपनी प्रस्तुति शुरू की, वर्तमान में 721 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए एक ज्ञान और अनुसंधान केंद्र के रूप में काम करता है।

उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र पारंपरिक फसलों के बजाय उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने लघु बाजरा, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख संस्कृति, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक उत्पादों के उत्पादन के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सिफारिश की ताकि रोजगार और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ाया जा सके।

इस सत्र की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री खुशवंत सिंह सेठी और पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव ने संयुक्त रूप से की।

तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला 11-12 नवंबर, 2021, मंगलुरु, कर्नाटक

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने 2 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक GPDP (सबकी योजना सबका विकास) के लिए जन योजना अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत, एनआईआरडीपीआर के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय ने अभियान के सफल रोल-आउट के लिए राज्यों सहित सभी हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों की श्रृंखला का आयोजन किया।

तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर 11-12 नवंबर 2021 में कर्नाटक के मंगलुरु में क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजन किया गया।

तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुचेरी, तमिलनाडु शामिल हैं।तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले निम्नलिखित संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इस कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही गतिविधियों को साझा किया जा सके और परियोजना प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों के साथ काम करने के अवसरों पर चर्चा की जा सके।

1. जल शक्ति मंत्रालय
2 DAY-NRLM, ग्रामीण विकास मंत्रालय
3. मत्स्य पालन विभाग - मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
4. मत्स्य पालन विभाग - मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
5. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
7. केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
8. कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
9. ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA)
10. गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GIDM)
11. गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (GIDM)
12. संयुक्त राष्ट्र महिला - क्षेत्रीय कार्यालय-भारत
13. कुडुम्बश्री NRO
14. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
15. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – पोषण अभियान के लिए
16. ICAR - केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि, केरल
17. ICAR - केंद्रीय खारे पानी का जलकृषि संस्थान (CIBA), चेन्नई
18. राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद
19. केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA)
20. CSIR -केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CFTRI), मैसूर

2. The Proceedings

2.1 उद्घाटन सत्र

पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान के सहयोग से, हैदराबाद और अब्दुल नजीर सब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, कर्नाटक सरकार, मैसूर ने जन योजना अभियान 2021 के हिस्से के रूप में तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया था। तटीय राज्यों के पीआरआई के

निर्वाचित प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नीति निर्माताओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री डा. श्री के एस ईश्वरप्पा ने अपने संदेश में सामान्य रूप से तटीय राज्यों और विशेष रूप से पंचायतों के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। संदेश में विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकृत योजना के क्षेत्रों में कर्नाटक सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया और जमीनी स्तर से राज्य स्तर तक योजना प्रक्रिया के संस्थागतकरण पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रतिनिधि सार्थक विचार- विमर्श करेंगे और प्रभावी योजनाएं बनाएंगे।

श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, अपने उद्घाटन

भाषण में इस बात पर जोर दिया कि सामान्य रूप से तटीय राज्य और विशेष रूप से तटीय जिलों की पंचायतें हर साल बहुत सारी बाधाओं का सामना करती हैं, खासकर मानसून की अवधि के दौरान होने वाली प्राकृतिक आपदा में। उन्होंने इन राज्यों और पंचायतों को लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि विकास कार्यकलाप प्राथमिकता के आधार पर की जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए उचित योजना विशेष रूप से आपदा शमन और प्रबंधन योजनाओं को पंचायतों द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू करने की आवश्यकता है।

श्रीमती उमा महादेवन, प्रमुख सचिव, पंचायत राज, कर्नाटक सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भाषण में पंचायत स्तर पर विभागों के बीच समन्वय और पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में केंद्रीयता प्रदान करने से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

पंचायत राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव ने देश भर में पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ और सशक्त बनाने में मंत्रालय की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि दो दिवसीय कार्यशाला तटीय राज्यों द्वारा अनुभवों को साझा करने के अवसर प्रदान करेगी और सामुदायिक भागीदारी के साथ पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में मदद करेगी।

श्रीमती शिल्पा नाग, आयुक्त (पंचायत राज) ने पंचायतों को सशक्त बनाने में राज्य की पहलों और पंचायती राज संस्थाओं को समर्थन देने के लिए ई-पहल में सुधार के अवसरों पर प्रकाश डाला।

कर्नाटक सरकार के अब्दुल नजीर सब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज की निदेशक श्रीमती लक्ष्मी प्रिया ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। NIRDPR के प्रोफेसर कथिरेसन ने धन्यवाद ज्ञापन किया

2.2 तकनीकी सत्र I : पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए जन योजना अभियान

पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव ने 2018 में अभियान शुरू होने के बाद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए जन योजना अभियान पर एक विवरण प्रस्तुत किया। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से पता चला है कि ग्राम पंचायत विकास योजनाएं सभी संख्यागत होती हैं।

अब मात्रा के बजाय GPDP की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अभियान के अनूठे तत्व ग्राम सभाएं, सहायक, मिशन अंत्योदय तथ्य और GPDP अपलोड करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पहल हैं। पिछले अभियानों में निम्नलिखित प्रमुख तत्व दिखाए गए हैं:

- 90 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में एकल ग्राम सभाएं।
- ग्राम सभाओं में समुदाय और संबंधित विभागों के अधिकारियों की भागीदारी की आवश्यकता
- अभियान के दौरान IEC गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना
- लाइन विभागों के धन को शामिल करने के लिए अधिकतम संसाधन का विस्तार करना।

प्रस्तुति में 2021 के दौरान अभियान की प्रगति की निगरानी पर प्रकाश डाला गया और ग्राम सभाओं में भागीदारी का विश्लेषण किया गया। फैसिलिटेटर की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में सबसे अधिक भागीदारी दर है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे राज्यों ने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

प्रस्तुति में साक्ष्य आधारित योजना को सुदृढ़ करने और पंचायत निर्णय समर्थन प्रणाली और योजना और रिपोर्टिंग डैश बोर्ड के माध्यम से राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय लेने में सुधार करने की प्रणाली पर प्रकाश डाला गया।

पंचायती राज मंत्रालय के सलाहकार श्री विप्रा गोयल की दूसरी प्रस्तुति में एकीकृत पंचायत परियोजना के लिए आधुनिक आईईसी गतिविधियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए PPC के 5 सिद्धांत हैं:

- निष्पक्षता
- तकनीकी विशेषज्ञता
- जागरूकता
- सामुदायिक भागीदारी
- सतर्कता

प्रस्तावित एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना में सूक्ष्म स्तर की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय की जरूरतों की पहचान की जानी चाहिए जो समुदाय को सीधे लाभान्वित करेगी। PPC के लिए एक उपयुक्त मॉडल योजना को दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले, योजना में ई- मॉड्यूल, कार्यान्वयन दिशानिर्देश, शामिल विभिन्न पदाधिकारियों (कार्यकर्ताओं, सुविधाकर्ताओं और नोडल अधिकारियों) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और समग्र योजना के लिए योजनाएं समन्वय चार्टर शामिल होना चाहिए।

2.3 तकनीकी सत्र II: **GPDP** के साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं का एकीकरण

तकनीकी सत्र में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्री सरोज कुमार दास, संयुक्त निदेशक, एसआईआरडी-पीआर, ओडिशा ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ओडिशा द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति राज्य की अतिसंवेदनशीलता और बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए राज्य में विकसित बेंचमार्क पर प्रकाश डाला -

- 72 से 96 घंटे में बुनियादी सड़क संचार बहाल करना
- 24 से 48 घंटे में पेयजल उपलब्ध कराना
- आपदा के 4 घंटे में मुफ्त राहत शुरू करना
- वैकल्पिक साधनों के माध्यम से अस्थायी मोबाइल फोन कनेक्शन को 48 से 72 घंटों में बहाल करना
- आपदा के 6 घंटे के भीतर बिजली की बहाली शुरू करना

आपदा के 4 घंटे के भीतर सड़क, मोबाइल टेलीफोन और पेयजल बहाली शुरू करना

प्रस्तुति में IEC गतिविधियों, सामुदायिक भागीदारी, हितधारकों के क्षमता निर्माण आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ पंचायतों द्वारा बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रस्तुति में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि बहु-हितधारकों के दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए प्रतिक्रिया से योजना की तक एक मजबूत बदलाव की आवश्यकता है।

गुजरात और केरल राज्यों ने भी संबंधित राज्यों में आपदाओं के प्रबंधन में अपने अनुभव साझा किए।

2.4 तकनीकी सत्र III: GPDP के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वय

सत्र में पंचायत विकास योजनाओं के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया।

श्री मोहित यादव, सलाहकार, PFRDA की प्रस्तुति में अटल पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए 2015-16 के दौरान शुरू की गई एक योजना है।

सुश्री एलिजाबेथ सोबी ने कुदुम्बश्री-NRO की अपनी सहयोगी सुश्री काजल तिवारी के साथ ग्राम गरीबी मुक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। VPRP के तहत विभिन्न योजनाएं हैं:

- पात्रता योजना
- आजीविका योजना
- सार्वजनिक वस् तुएं, सेवाएं और संसाधन विकास योजनाएं
- सामाजिक विकास योजनाएं

प्रस्तुति में ग्रामीण गरीबी मुक्त योजनाओं की सफल तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली प्रमुख उपलब्धियों, चुनौतियों और रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया।

डॉ. अंजन कुमार भांजा ने अपनी प्रस्तुति में साक्ष्य आधारित और तथ्य संचालित पंचायत परियोजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके लिए दृष्टिकोण इस प्रकार है:

- साक्ष्य आधारित का अर्थ है कि निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य , सूचना और ज्ञान का उपयोग किया जाता है।
- साक्ष्य-आधारित योजना तथ्य और जानकारी से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर रही है और इसका उपयोग हमारी परियोजना प्रक्रिया को उपयुक्त बनाना और परिणामों में सुधार करने के लिए कर रही है।
- साक्ष्य-आधारित योजना साक्ष्य यानी तथ्य , सूचना और ज्ञान का उपयोग यह तय करने के लिए आधार के रूप में करती है कि क्या किया जाना चाहिए।
- वास्तविक जरूरतों और पंचायत परियोजना के बीच सूचना का अंतर दिखाई देता है।
- जमीनी हकीकत और वास्तविक जरूरतों के सबूत के रूप में आवश्यक और पर्याप्त तथ्य का उपयोग करके योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

उपर्युक्त को सुनिश्चित करने के लिए पंचायत योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए जाने चाहिए और सहायक आंकड़ों की उपलब्धता के स्त्रोतों की आवश्यकता है।

2.5 तकनीकी सत्र **IV**: जन योजना अभियान - अनुभव साझा करना

सत्र में केरल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनुभव साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रस्तुति की मुख्य विशेषताएं हैं:

- कार्बन मुक्त ग्राम पंचायत
- पंचायत योजनाओं को तैयार करने के लिए सामुदायिक लामबंदी
- समुदाय के साथ प्रभावी संचार के लिए अधिक संख्या में ग्राम सभाओं का आयोजन
- पंचायत क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान
- ग्राम सचिवालय प्रणाली और नवरत्न फ्लैगशिप कार्यक्रम

- राज्यों में योजनाएं तैयार करने से संबंधित प्रावधान
- GPDP के तहत पंचायत स्तर पर योजनाओं का समन्वय

निर्वाचित प्रतिनिधियो द्वार अपने अनुभव साझा किये गए

2.6 तकनीकी सत्र V: कार्यक्रमों का समन्वय – लाइन मंत्रालय और संस्थान

डॉ. दीपिका शेट्टी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) की प्रस्तुति में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानिक योजना के महत्व पर प्रकाश डाला गया

इसने ध्वनि वैज्ञानिक, और तकनीकी प्रक्रियाओं के आधार पर उचित भूमि उपयोग योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, और भागीदारी दृष्टिकोण द्वारा समर्थित भूमि उपयोग रणनीतियों, लोगों को समुदायों की वर्तमान और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए भूमि और उसके संसाधनों को उचित रूप से आवंटित करने और उपयोग करने के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है। उडुपी जिले की दो पंचायतों में स्थानिक योजनाओं की तैयारी के अनुभव को प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया। इन ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे विकास के लिए परियोजना प्रक्रिया एक परिकल्पित प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें जमीनी स्थिति का ठोस पेशेवर मूल्यांकन करने और जनसांख्यिकीय, भौतिक, सामाजिक- आर्थिक, क्षेत्राधिकार और वित्तीय पहलुओं की सीमाओं के भीतर सतत विकास के विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता हो।

श्री अनुज तिवारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रस्तुति में स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के महत्व पर ध्यान केन्द्रित किया गया, क्योंकि यह समुदाय किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान पहला रिसीवर और प्रत्युत्तरदाता होगा।

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पंचायतों को आपदा से निपटने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और एक ग्राम पंचायत विकास योजना भी विकसित करनी चाहिए जो जोखिम कम करने वाले कारकों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

2.7 तकनीकी सत्र VI: सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

श्रीमती जयश्री रघुनंदन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुति और चर्चा, जरूरत, महत्त्व, ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए योजना के ऊपर था।

राज्यों ने संबंधित मंत्रालयों के समर्थन से सतत विकास लक्ष्यों के कई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहल की हैं। हलाकि, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और समुदाय की प्रभावी भागीदारी के माध्यम से SDG दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर ले जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। हस्तषेप के प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं:

- कोई गांव नहीं छूटे
- प्राकृतिक आपदाओं पर काबू पाने के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता
- बच्चों के अनुकूल पंचायतें
- लैंगिक मुद्दों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर ध्यान केंद्रित करें
- किसी को भी पीछे न छोड़ें - सतत विकास लक्ष्य उपरोक्त मुद्दों पर वीडियो और बाद में प्रतिभागियों के साथ बातचीत के माध्यम से चर्चा की गई। कार्यशाला समापन सत्र के साथ समाप्त हुई

PPC पर ग्रामसभा- GP - गांधी नगर, अंडमान और निकोबार

PPC पर ग्रामसभा- राज्य- आंध्र प्रदेश,
जिला-पूर्वी गोदावरी ब्लॉक- गांडेपल्ले GP - बोररामपालेम

PESA राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

22-23 नवंबर, 2021 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई

पृष्ठभूमि

इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में 22-23 नवंबर 2021 के दौरान PESA राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना) में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

प्रतिभागियों को, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे पीईएसए राज्यों के अध्यापकों, निर्वाचित प्रतिनिधि, लाइन विभागों के अधिकारी, आईटी सलाहकार, प्रशिक्षक, संसाधन व्यक्ति और सरकारी अधिकारी से लिया गया था। इसके अलावा संस्थानों, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के विशेषज्ञों, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। अंत में प्रतिभागियों की एक सूची संलग्न है।

2. कार्यवाही

2.1 उद्घाटन सत्र

प्रारंभ में, सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किआ गया । इसके बाद शॉल और स्मृति चिन्ह से गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह कैन द्वारा स्वागत भाषण दिया गया।

इसके बाद राजस्थान के पंचायती राज विभाग के सचिव श्री पीसी किशन, पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री रेखा यादव और IGPR एंड GVS के महानिदेशक श्री रविशंकर श्रीवास्तव ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। डॉ. सी. कथिरेसन, कार्यशाला समन्वयक, NIRD & PR, हैदराबाद द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किआ गया।

2.2 तकनीकी सत्र I : पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए जन योजना अभियान

पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव ने जन योजना अभियान पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान 2021- सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड शुरू किया है।

देश की प्रत्येक पंचायत को एक सुविचारित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करनी चाहिए ताकि आने वाले वर्ष में गांव समावेशी और सतत विकास प्राप्त कर सकें। सार्थक और जवाबदेह ग्राम सभाओं की बैठकें आवश्यक हैं।

'सबकी योजना सबका विकास' अभियान ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए समर्पित है। एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह कार्यों के कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी के लिए ग्राम पंचायतों को पूरे वर्ष प्रदान करेगा।

संयुक्त सचिव रेखा यादव ने जनयोजना अभियान- 2021 पर विस्तृत प्रस्तुति दी। शुरुआत में, उन्होंने पिछले अभियानों से सीखने का एक स्नैप शॉट प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने PESA और गैर-PESA ग्राम सभाओं (PPC 2021) में भागीदारी का विश्लेषण किया। 33418 PESA ग्राम सभाओं और 8106 गैर-PESA ग्राम सभाओं के संबंध में विश्लेषण किया गया। उन्होंने इस बारे में चर्चा की:

1. योजना और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड
2. निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में ग्राम मानचित्र
3. अनुसूचित जनजाति अंश निगरानी डैशबोर्ड
4. क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग समर्थन
5. जल संरक्षण गतिविधियाँ
6. जल संरक्षण के लिए समन्वय
7. MGNAREGA, ग्रामीण हाट, कृषि विपणन, राष्ट्रीय आयुष मिशन, अनुसूचित जाति जनजातीय उप-योजना के साथ एंड टू एंड लिंकेज सिस्टम

सत्र की दूसरी प्रस्तुति, श्री विप्र गोयल, पंचायती राज मंत्रालय के सलाहकार, भारत सरकार ने एकीकृत पंचायत योजना के लिए आधुनिक/मॉडल IEC (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने जन योजना अभियान के 5 सिद्धांतों पर प्रकाश डाला:

1. निष्पक्षता
2. तकनीकी विशेषज्ञता
3. जागरूकता
4. सामुदायिक भागीदारी
5. सतर्कता

उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जन योजना अभियान (RGSA) के लिए आधुनिक IEC रणनीति को रेखांकित किया:

1. जन योजना अभियान मॉड्यूल, पुस्तिकाओं, दिशानिर्देशों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और योजनाओं समन्वय चार्टर का वितरण
2. स्वयंसेवकों सहित GPPFT (ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल) का गठन
3. नवगठित दल की बैठकें
4. दल द्वारा वार्ड से वार्ड ग्राम रथ रैली
5. पर्यावरण सृजन वार्ड-सभा का आयोजन (चौपाल बैठकें/बैठकें)
6. जिला के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गतिविधि प्रेस नोट्स
7. सहायक तथ्य संग्रह के साथ डोर-टू-डोर सर्वेक्षण-के साथ - फ़ाइल-कार्य
8. पीआरए वार्ता और तथ्य का उपयोग करके स्थिति का विश्लेषण
9. एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन (संसाधन गतिविधि पहचान और विजनिंग व्यायाम)

2.3 तकनीकी सत्र II: पेसा राज्यों के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना

डॉ. अनीता, यूएनएफपीए (UNFPA) की प्रतिनिधि ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र में तीन प्रस्तुतकर्ता थे।

फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (FES), राजस्थान की सुश्री वंदना ने स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने - ग्राम पंचायत विकास योजना पर पहली प्रस्तुति दी। उनका कहना है कि उनका संगठन जल जंगल और जमीन पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। FES भूमि और जल संसाधनों की पारिस्थितिक बहाली और संरक्षण की दिशा में काम करता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित मानव प्रयास और शासन की प्रक्रियाओं को स्थापित करता है। अपने अनुभवों को साझा करने के बाद, उसने सिफारिश की:

- जीपीडपी तैयार करने के लिए निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- जीपीडपी के लिए एक डैशबोर्ड होना चाहिए।
- वार्ड सभाओं के लिए सक्षम आदेश होने चाहिए।
- वार्ड पंच की भूमिका स्पष्ट की जाए।
- उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग- जीपीडीपी में सूचना विज्ञान तथ्य
- पंचायती राज का अन्य विभागों के साथ तालमेल होना चाहिए।

उन्होंने फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी द्वारा अपनाई गई जीपीडपी की प्रक्रिया के हिस्से को साझा किया।

सुश्री रितु राज राठौर, प्रबंधक, ग्रामीण विकास ट्रस्ट (GVT) ने सत्र की दूसरी प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट 1992 से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसकी स्थापना कृभको और डीएफआईडी, यूके द्वारा की गई थी। सुश्री राठौर ने ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा 7 विषयगत क्षेत्रों को कवर करते हुए की गई गतिविधियों में अनुभव साझा किए:

1. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
2. कौशल विकास
3. संस्थागत विकास
4. विकास अध्ययन
5. शिक्षा
6. स्वास्थ्य और स्वच्छता
7. सामाजिक उद्यमिता और बाजार पहुंच

श्री कामेश कुमार जांगिड़, राष्ट्र विकास कृषि शिक्षा संस्था (RAES) ने सत्र की तीसरी प्रस्तुति की।

उन्होंने महाराष्ट्र में आदिवासियों के विकास के लिए 5 परियोजनाओं को लागू करने में अपने अनुभव साझा किए। वे थे:

1. ननारखी, कडुपाड़ा और हनुमंतनगर क्लस्टर में इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम (2006-2013)
2. सतत विकास योजना (SDP) का कार्यान्वयन (2017-2019)
3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY), नंदुरबार (2003-2012)
4. तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में आजीविका और गैर-आजीविका विकास और SHG महिलाओं के लिए सूक्ष्म आजीविका योजनाओं की तैयारी के लिए LRA
5. नाबार्ड के PODF-ID फंड के तहत धुले जिले में 03 FPOs को बढ़ावा देना

2.4 तकनीकी सत्र III: पंचायत नियोजन में संस्थानों की भूमिका

इस सत्र की अध्यक्षता श्री राजेन्द्र सिंह कैन, अतिरिक्त निदेशक, IGPR और GVS, राजस्थान ने की। इसमें 4 प्रस्तुतकर्ता थे।

सुश्री प्रियंका गुप्ता, उप महाप्रबंधक, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), नई दिल्ली ने सत्र की पहली प्रस्तुति पेस की। उन्होंने अटल पेंशन योजना पर पावरप्वाइंट प्रजेंटेशन दिया। APY, जिसे पहले स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता था, भारत में एक सरकारी-मंजूरी प्राप्त पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र को लक्षित करती है।

सुश्री गुप्ता ने कहा कि अटल पेंशन योजना देश का एक विशाल पेंशन कार्यक्रम है, जिससे असंगठित क्षेत्र के 88 प्रतिशत कार्यबल को 60 वर्षों के बाद गरिमापूर्ण जीवन जीने का लाभ मिलेगा। जैसे-जैसे भारत का जनसंख्या ढांचा बदलता जाएगा, बुजुर्गों का अनुपात भी बदलने वाला है। वर्ष 2050 तक, बुजुर्गों (आयु 60+) का अनुपात सदी के अंत में अपने स्तर के बाद से लगभग तीन गुना बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2020 तक, हमारे पास 60 वर्ष से अधिक उम्र की 10% आबादी है, जबकि वर्ष 2050 में, हमारे पास 60 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 19% आबादी होगी। यह इंगित करता है कि अगले 30 वर्षों में पुराने से युवा अनुपात को दोगुना कर दिया जाएगा, जो युवाओं पर निर्भर पुरानी आबादी को दर्शाता है। सुश्री गुप्ता ने अपनी प्रस्तुति में आयु सीमा, पात्रता और योजना के लाभों को कवर किया।

अगली प्रस्तुति डॉ. सौमेन बागची, सामाजिक नीति विशेषज्ञ, स्थानीय शासन और सार्वजनिक वित्त, Unicef ने दी।

श्री बागची ने एक पावरप्वाइंट प्रजेंटेशन दिया जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि यूनीसेफ UNICEF एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने उन क्षेत्रों पर चर्चा की जिनमें यूनीसेफUNICEF, जीपीडपी में बच्चों के लिए कार्यकलापों में सहायता कर सकता है। पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन की प्रमुख इकाई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय मुद्दों की पहचान करने, विकासात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए अबहेलितों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में केंद्रीय भूमिका निभानी है। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी पंचायती राज संस्थानों को सुसज्जित करने, सामाजिक परिवर्तन और ग्रामीण आर्थिक विकास के प्रभावी माध्यम बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बागची ने कहा कि स्थानीय सरकार का सशक्तिकरण निम्नलिखित के लिए मौलिक बन गया है-

- बॉटम अप योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना समय की मांग है।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि।
- जीपीडीपी में सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वालों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को एकीकृत करना।
- मनरेगा के भीतर कोविड-19 जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे जैसे झटकों का जवाब देने के लिए आर्थिक गतिविधियों और आजीविका के अवसरों तक सतत पहुंच।

जीपीडीपी समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार हैं। जन योजना अभियान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के साथ अभियान मोड में जीपीडपी की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। इसमें पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,

महिलाएं, बच्चे और सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोग शामिल होंगे। पिछले साल की तरह पीपीसी 2022 को अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक रोलआउट किया जा रहा है।

अंत में, उन्होंने सुझाव दिया कि PRIs के लिए Unicef की अनुबंध हैं:

- PRIs के 3 स्तरों के लिए PRIs के प्रशिक्षण की आवश्यकता मूल्यांकन
- वाइब्रेंट ग्राम सभाओं के अभियान को समर्थन
- बाल अनुकूल ग्राम पंचायतों के लिए मूल्यांकन ढांचा विकसित करना
- ग्राम पंचायतों के लिए जल और स्वच्छता सेवा स्तर बेंचमार्क
- जल, स्वच्छता सेवाओं के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग के लिए मॉडल अनुबंध
- योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की दिशा में बॉटम अप दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श जारी- SDGs का स्थानीयकरण
- "GPDPs में महिलाओं और बच्चों की प्राथमिकताओं की पहचान और एकीकरण के लिए महिला सभाओं और बाल सभाओं का संस्थागतकरण" पर चर्चा चल रही है।

सत्र की अगली प्रस्तुति यूएनपीए की कंसल्टेंट -पीआरआई डॉ अनीता कंसल्टेंट द्वारा की गई।

डॉ. अनीता ने एसडीजी- 5 का स्थानीयकरण करके और इसे जीपीडीपी के हिस्से के रूप में एकीकृत करके महिलाओं और लड़कियों के मूल्य को बढ़ाने में पंचायतों की भूमिका पर एक पावरप्वाइंट प्रस्तुति दी।

शुरुआत में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। UNFPA का फोकस इस पर है

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव के विभिन्न रूपों की पहचान करने और संबोधित करने के लिए पंचायतों के बीच जागरूकता फैलाएं।

- सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रकार की लिंग-आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए पंचायतों प्रतिबद्ध होने के लिए आह्वान करें
- पंचायतों को लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग-चयन, बच्चे, शीघ्र और जबरन विवाह,-शिकार आदि जैसी हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए प्रेरित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि पंचायतें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं और लड़कियों द्वारा नेतृत्व के लिए पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समान अवसरों को बढ़ावा देने का संकल्प लें।
- महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सभी कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।

डॉ अनीता ने जेंडर रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट प्लानिंग करने पर जोर दिया। उनका मानना है कि लैंगिक समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने, लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से परिवार और सामुदायिक स्तर पर भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को संबोधित करने में मदद मिलेगी, जिससे महिलाओं और लड़कियों के मूल्य में वृद्धि होगी। जिससे सतत विकास लक्ष्यों के विजन को साकार करने में मदद मिलती है। भेदभावपूर्ण मानदंडों और संरचनाओं से निपटने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देना ..

उन्होंने बताया कि यूएनएफपीए राजस्थान- सवाईमाधोपुर, मध्य प्रदेश- छतरपुर, ओडिशा- ढेंकनाल और बिहार- शेखपुरा जिलों में काम कर रहा है

सत्र के अगले प्रस्तुतकर्ता कुडुम्बश्री- एनआरओ के , फिल्ड कोडिनेटर, सुश्री काजल तिवारी और श्री राज सिंह थे

प्रस्तुति देते हुए श्री राज ने कहा कि ग्राम गरीबी मुक्त योजना भागीदारी योजना के साधनों में से एक है जिसे कुदुम्बश्री एनआरओ द्वारा पीआरआई-सीबीओ समन्वय परियोजना के तहत विकसित किया गया है। वीपीआरपी स्व सहायकता समूह के सामुदायिक नेटवर्क द्वारा तैयार की गई एक मांग योजना है जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में एकीकृत किया जा सकता है। वीपीआरपी प्रक्रिया एसएचजी नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से अपनी मांगों को उठाने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने एसएचजी स्तर पर पात्रता योजना, वीओ स्तर पर आजीविका योजना, सार्वजनिक वस्तु सेवाओं और संसाधन विकास योजना और ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक विकास योजना पर चर्चा की। उन्होंने प्रत्येक योजना के तहत योजनाओं और विभागों को समझाया। उन्होंने निम्नलिखित तरीके से वीपीडीपी की प्रक्रिया को रेखांकित किया: प्रति वीओ के 2 सहायकओं की पहचान, प्रति वीओ के 2 सहायकओं के लिए प्रशिक्षण, सीएलएफ और वीओ स्तर की योजना में अवधारणा की सृजन, स्व सहायता समूह स्तर पर तैयारी, वीओ स्तर पर योजनाओं की तैयारी और समेकन, ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं की प्राथमिकता और समेकन, ग्राम सभा में वीपीआरपी प्रस्तुत करना, जीपीडीपी में एकीकरण और आवश्यकता की पृष्टि के लिए निगरानी करना ।

अंत में प्रस्तुति का पूरक सुश्री काजल तिवारी ने किया। उन्होंने वीपीआरपी की प्रक्रिया और चरणों पर चर्चा की। उन्होंने वीपीआरपी में कई चुनौतियों की ओर इशारा किया: वीपीआरपी पर राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की जागरूकता की कमी

- वीपीआरपी के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित करने में कठिनाई
- लाइन विभागों की बहुत कम भागीदारी और भागीदारी
- जीपीडपी में वीपीआरपी योजनाओं के एकीकरण की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त तंत्र का अभाव
- www.gpdp.nic.in में वीपीआरपी अपलोड करने में तकनीकी समस्याएं
- जीपीडीपी 2020-21 की मंजूरी/कार्यान्वयन की स्थिति पर स्पष्टता का अभाव

सभी 4 प्रस्तुतियों के समाप्त होनेके के बाद, सत्र अध्यक्ष ने समापन टिप्पणियों के साथ समाप्त किया और प्रस्तुतकर्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए। पहले दिन का समापन सार्थक विचार-विमर्श और अनुभव साझा करने के साथ हुआ। अंत में, प्रत्येक राज्य से अनुरोध किया गया कि वे कल सुबह आज के अनुभब के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दें।

2.5 तकनीकी सत्र IV: निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनुभव साझा करना

तकनीकी सत्र IV निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनुभव साझा करने पर केंद्रित था। प्रत्येक प्रतिभागी राज्य के सरपंचों को मंच पर आमंत्रित किया गया था। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने मौखिक प्रस्तुति दी और

उसके बाद पावरप्वाइंट प्रस्तुति, चित्र और वीडियो प्रस्तुत किए।

सबसे पहले, सुश्री पूजा मीणा, सरपंच, ग्राम चारेड़ा, जिला दौसा ने अपनी ग्राम पंचायत को देश की पहली आदर्श पंचायत घोषित करने के अपने प्रयासों को व्यक्त किया। जिला कलेक्टर श्री पीयूष सामरिया मीडिया के सामने आए और पंचायत, चारेडा द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उनका ग्राम पंचायत कार्यालय सरकारी कार्यालय की तरह ही सभी सुविधाओं के साथ काम कर रहा है। उन्होंने अपने प्रस्तुति के दौरान एक वीडियो शेयर किया है।

राजेंद्र प्रसाद मीणा और आशा मीणा ने अपनी ग्राम पंचायत-महेश्वर खुर्द, जिला दौसा को कोरोना मुक्त बनाने के अपने प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने IEC साधनों का उपयोग करते हुए मतलब- घर-घर पर्चे का वितरण, पोस्टरों की प्रदर्शनी और कोरोना कबच साथी वाली टी-शर्ट का वितरण करके कोरोना कवच साथी अभियान शुरू किया। यह एक अद्भुत सम्मिलित कार्य था।

दौसा जिले के उपमंडल बांदीकुई के मितरवाड़ी गांव के किसान श्री रामजीलाल शर्मा ने मॉडल फार्म विकसित करने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने 2001 में अपना व्यवसाय छोड़ दिया और अपनी 9

निर्वाचित प्रतिनिधियो एवं कृषको ने अनुभव साझा किये

श्री शिव चरण सेकड़ा, किसान, गीजगढ़ पंचायत समिति, सिकरे जिला दौसा ने कृषि में अपने नवाचारों को साझा किया। उन्हें कृषि के क्षेत्र में उनके अनूठे योगदान के लिए कृषिएस अम्मान के रूप में मान्यता का प्रमाण पत्र मिला।

प्रगतिशील किसान श्री सुरेन्द्र अवाना, ग्राम-बैराना, पंचायत समिति, बिचुन, जिला जयपुर को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि वह पिछले 35 वर्षों से कृषि में लगे हुए हैं। वह अपनी 10 हेक्टेयर रेतीली, असमान और खराब उपजाऊ, बजरी और कंकड़ भूमि के साथ मिश्रित मत्स्य पालन, डेयरी, बतख, ऊंट, घोड़ा, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन, मधुमक्खी, औषधीय पौधों और जैविक खेती के लिए काम कर रहे हैं।

NIRDPR डॉ. सी. कथिरेसन इस सत्र के एंकर पर्सन थे। पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री रेखा यादव ने सत्र की अध्यक्षता की।

पीपीसी पर ग्राम सभा का आयोजन/ग्राम पंचायत-मंडावल, जिला, रतलाम (मापा)

2.6 तकनीकी सत्र *V:* पंचायती राज संस्थाओं में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनुभव साझा करने के सत्र के समापन के बाद अतिरिक्त निदेशक श्री राजेन्द्र सिंह कैन को सत्र की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया। 5 प्रस्तोताओं को मंत्रालयों और संस्थानों से आमंत्रित किया गया था।

पंचायती राज मंत्रालय के सलाहकार श्री मोहित राव को ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा परिवर्तन की एजेंट है। ग्राम सभा को सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। ग्राम सभाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए सशक्त बनाया गया है:

जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों की रक्षा और संरक्षण

- विवाद समाधान का प्रथागत तरीका
- विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान
- सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी देना
- उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करें
- नशीले पदार्थों को विनियमित करना, लघु वनोपजों, लघु जल निकायों का स्वामित्व, साहूकार

श्री राव ने ग्राम सभाओं में उपस्थिति और ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी दिखाक PES क्षेत्रों के नमूना आंकड़ों का राज्यवार विश्लेषण किया।

IGPR और GVS के उप निदेशक श्री आकाश दीप अरोड़ा को विकलांगता की आधुनिक अवधारणा और समाज में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने पर एक प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन् होंने कहा कि विकलांगता को दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विभिन् न बाधाओं के साथ बातचीत में समाज में दूसरों के समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकती है। डॉ. अरोड़ा ने कहा कि विकलांगता मानव यी स्थिति का हिस्सा है। हर कोई अपने जीवन में किसी बिंदु पर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से इसका अनुभव करने की संभावना रखता है। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कुछ प्रावधानों का उल्लेख

किया।

डॉ. नारायण साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, **NERC, NIRDPR,** गुवाहाटी ने साक्ष्य आधारित पंचायत योजना पर पावरप्वाइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने तथ्य के बारे में चर्चा की जो विशेषताएं या जानकारी हैं, आमतौर पर संख्यात्मक, जो अवलोकन के माध्यम से एकत्र की जाती हैं। अधिक तकनीकी अर्थों में, तथ्य एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मूल्यों का एक सेट है। उन्होंने सामान्य रूप से स्थानीय निकायों और विशेष रूप से PESA क्षेत्रों के लिए एक वास्तविक समय, लचीली और भविष्य की तथ्य बेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव दिया। डाटा बेस मैनेजमेंट सेल को FDAC कहा जाएगा।

प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के दो प्रस्तुतकर्ताओं ने स्कूली शिक्षा में सामुदायिक स्तर की गतिविधियों पर पावरप्वाइंट प्रस्तुति दी। स्कूलों में बच्चों के साथ काम करते हुए, प्रथम ने अबहेलित क्षेत्रों में मजबूत सामाजिक संरचनाएं (पड़ोस के बच्चों के समूह और माताओं के समूह) विकसित की हैं। सगाई और सीखने की कार्यकलाप घरों, पड़ोस / बस्तियों (मोहल्लों) के साथ-साथ सामुदायिक स्तर पर आयोजित की जाती हैं

2.7 तकनीकी सत्र VI: पंचायती राज संस्थाओं में **SDGs** का स्थानीयकरण

SIRD, ओडिशा के संयुक्त निदेशक और विशेषज्ञ समूह के सदस्य श्री सरोज कुमार दास ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और पंचायत परियोजना में इसकी प्रासंगिकता पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

श्री दास ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य (SDGs) भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसका कारण निम्नलिखित कारण हैं:

- निरक्षरता
- गरीबी और शोषण
- खराब स्वास्थ्य और पोषण
- प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण/स्वामित्व का अभाव
- विकास के अनुकूल बुनियादी ढांचे का अभाव
- लिंग संबंधी समस्याएं

इसके बाद उन्होंने जीवंतता और स्थिरता, मिशन मोड दृष्टिकोण, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण और स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क- LIF (बिसय, लक्ष्य, समय-रेखा और संकेतक) के ऊपर SDGs के स्थानीयकरण की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने PESA अधिनियम, **1996** के प्रावधानों की तुलना विषयगत SDGs के संपर्क से की। उन्होंने SDGs को GPDP में एकीकृत करने में PESA संगठक और समन्वयकों की भूमिका को भी रेखांकित किया। यह भूमिका है:

- ST, SC, PVTG, महिलाओं आदि को उनकी उपस्थिति बढ़ाने और ग्राम सभा में प्रभावी भागीदारी के लिए जुटाना
- GPDP तैयार करने की सुविधा प्रदान करना और योजना प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर GP पदाधिकारियों को सहायता प्रदान करना।
- एक व्यापक योजना के लिए क्षेत्रीय विभागों के साथ समन्वय करते हुए भागीदारी योजना प्रक्रिया के माध्यम से GPDP तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
- विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के समन्वय के माध्यम से जनजातीय लोगों की विकास आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाना और कैप्चर करना
- SHGs - PRI इंटरफेस के माध्यम से VPRP और डिमांड प्लान तैयार करने के लिए एसएचजी के साथ समन्वय करना और यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध संसाधनों की फिटिंग लोगों की जरूरतों को पूरा करे।
- VPRP की प्रभावी तैयारी के लिए SHGs के समन्वय से पात्रता, आजीविका, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं और सामाजिक विकास पर जागरूकता निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

अंत में, एक डे-ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया गया था। श्री रविशंकर श्रीवास्तव , महानिदेशक, IGPR एवं GVS के और सुश्री रेखा यादव, संयुक्त सचिव, MoPR अध्यक्षता में थे। प्रत्येक प्रतिभागी राज्य से एक व्यक्ति को इस कार्यशाला से अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अधिकांश राज्य प्रतिनिधियों ने अपनी सीख व्यक्त की और बताया कि कार्यशाला के विचार-विमर्श से उन्हें बहुत लाभ हुआ है।

IGPR और GVS के महानिदेशक ने निष्कर्ष निकाला कि GPDP में प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्नलिखित थे:

- जल , स्वास्थ्य , शिक्षा , महिला एवं बाल विकास , विकलांग
- बिजली: नवीकरणीय ऊर्जा
- अपशिष्ट प्रबंधन : पर्यावरण
- लाइन और कर्मचारियों के समन्वय द्वारा योजना निष्पादन- 12% विभाग जीएस में भाग ले रहे हैं
- चिन्हित कार्यों और गतिविधियों को पूरा करना- केवल 1% पूरा हुआ
- सामाजिक लेखा परीक्षा, गरीबी, भागीदारी, संकल्प।

GPDP के उद्देश्य में संसाधन मूल्यांकन और विकास जुटाना, भागीदारी, लाइन विभाग से सीखना, IEC, अंतर पहचान करना, प्रशिक्षण, पलायन और माइग्रेशन कंटेनमेंट, जॉब क्राइसिस रिज़ॉल्यूशन, गरीबी उन्मूलन- VPRP, आर्थिक उत्थान, सोशल ऑडिट, संकल्प, प्राथमिकता SDG, समन्वय, DIS, परिसंपत्ति मानचित्रण, प्रौद्योगिकी, लागत और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

समापन भाषण सत्र के दोनों अध्यक्षों द्वारा दिया गया। अंत में मेजबान SIRD की डॉ. आरके चौबीसा ने उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन दिया, जिनके सक्रिय भागीदार और सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। संस्थान की ओर से, उन्होंने सभी को शुभकामनाएं और सुखद यात्रा व्यक्त की और सभी को एक कप चाय / कॉफी पर आमंत्रित किया।

हिमालयी राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

28-29 नवंबर, 2021 देहरादून, उत्तराखंड

1. पृष्ठभूमि

पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान (NIRDPR), हैदराबाद और उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग के सहयोग से जन योजना अभियान (PPC), 2021 के हिस्से के रूप में हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में हिमालयी राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं के नीति निर्माताओं की श्रेणी से कुल 121 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2. कार्यवाही

2.1 उद्घाटन सत्र

उद्घाटन सत्र के दौरान उत्तराखंड के निदेशक पी.आर श्री चंद्र सिंह धराशक्तु ने प्रतिभागियों का स्वागत किया।

डॉ. सी कथिरेसन एसोसिएट प्रोफेसर NIRDPR ने PPC क्षेत्रीय कार्यशालाओं के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला एक शिक्षण मंच है और आशा व्यक्त की कि सभी प्रतिभागी पंचायतों द्वारा प्रभावी स्थानीय परियोजना के लिए एक-दूसरे से सीखने के लिए अपने अनुभव साझा करेंगे।

श्री नितेश कुमार झा, सचिव PR उत्तराखंड ने अपने संबोधन में हिमालयी राज्यों के मुद्दों जैसे कठिन इलाकों और वाष्पोत्सर्जन आदि पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि हिमालयी राज्यों में औषधीय पौधों को उगाने के लिए विशिष्ट वातावरण है।

पंचायती राज मंत्रालय में अवर सचिव श्री संजय उपाध्याय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) को चार वर्षों की अवधि अर्थात 2018-22 से 7225 करोड़ रुपये की लागत से कोर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने के बारे में बताया।

यह योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है और मिशन अंत्योदय और आकांक्षी जिलों के परिवर्तन के साथ समन्वय पर केंद्रित है RGSA के अपेक्षित परिणामों में सुशासन के लिए पंचायतों की बढ़ी हुई क्षमताओं और सहभागी स्थानीय परियोजना, लोकतांत्रिक निर्णय लेने, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से SDGs की प्राप्ति शामिल है।

उत्तराखंड सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज, शिक्षा और खेल मंत्री श्री अरविंद पांडेय ने एक विशेष संबोधन दिया।

उन्होंने विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकृत योजना के क्षेत्रों में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी दी और जमीनी स्तर से राज्य स्तर तक परियोजना प्रक्रिया के संस्थागतकरण पर प्रकाश डाला।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि उत्तराखण्ड में अनेक युवा पंचायत शासन में आ रहे हैं। उन् होंने उम्मीद जताई कि प्रतिनिधि प्रभावी स्थानीय योजनाएं तैयार करने के लिए सार्थक विचार-विमर्श करेंगे।

पंचायती राज विभाग उत्तराखंड के उपनिदेशक श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ सत्र का समापन हुआ।

2.2 तकनीकी सत्र I: पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए जन योजना अभियान

पंचायती राज मंत्रालय के श्री श्लोकार्थ सलाहकार ने 2018 में अभियान शुरू होने के बाद से उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए जन जोजना अभियान (सबकी योजना सब का विकास) के अवलोकन पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में समुदाय और संबंधित विभागों के अधिकारियों की अधिक भागीदारी, अभियान के दौरान IEC गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने और लाइन विभागों के धन को शामिल करने के लिए अधिकतम संसाधन को बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्री मोहित राव, सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा को जीवंत बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फरवरी 2021 में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने स्थानीय शासन में सुधार के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका पर जोर दिया, जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता का आधार है।.

2.3 तकनीकी सत्र II: पंचायत विकास योजना के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वय

इस सत्र में संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के अधिकारियों ने स्थानीय योजनाओं के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला।

NDMA के श्री अनुज तिवारी ने अपनी प्रस्तुति में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि तैयारियों/जोखिम में कमी या शमन पर खर्च किए गए एक डॉलर से प्रतिक्रिया और राहत के लिए आवश्यक सात डॉलर की बचत होती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि PRIs को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तब तक समर्थ और मजबूत करने की आवश्यकता है जब तक कि विशेष बाहरी सहायता उन तक नहीं पहुंच जाती। इससे कई कीमती

जिंदगियों के नुकसान को रोका जा सकता है और नुकसान को भी कम किया जा सकता है। उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए प्रधानमंत्री के दस सूत्रीय एजेंडे के बारे में संक्षेप में बताया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के DAY –NRLM के उप निदेशक श्री रमन वाधवा और सुश्री बेनजीर नजीम नवाज विषयगत एंकर कुदुम्बश्री-NRO ने ग्राम गरीबी उन्मूलन योजनाओं (VPRP) की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। VPRP की उप-योजनाओं में शामिल हैं- पात्रता योजना, आजीविका योजना। सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाएं और संसाधन विकास योजनाएं और सामाजिक विकास योजनाएं।

ये योजनाएं SHG स्तर, ग्राम संगठन स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जाती हैं। प्रस्तुति में VPRP की सफल तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली प्रमुख उपलब्धियों, चुनौतियों और रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया।

जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार श्री उमा शंकर पांडे ने स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश और 2021-26 की अवधि के लिए PRIs को 2,36,805 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तुत किया, जिसमें से 60 प्रतिशत बंधा हुआ अनुदान है जिसका उपयोग पेयजल और स्वच्छता के लिए किए जाने की आवश्यकता है।

जलापूर्ति के लिए आवंटन का उपयोग पाइप पेयजल आपूर्ति, जल संचयन संरचनाओं और जल पुनर्चक्रण के लिए किए जाने की आवश्यकता है। स्वच्छता के लिए आवंटन स्थाई ODF स्थिति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे जल प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन के लिए है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के सहायक महाप्रबंधक श्री मोहित यादव ने अटल पेंशन योजना (APY) की विशेषताओं के बारे में बताया। इस योजना के तहत 18-40 वर्ष के सभी नागरिक किसी भी बैंक के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं जहां बचत खाता बनाए रखा जाता है और पेंशन विकल्प 1000-5000 रुपये पीएम चुनें।

यूनिसेफ के डॉ सौमेन बागची ने चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायतों पर प्रकाश डाला। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक असुरक्षित होते हैं, उन स्थितियों के लिए जिनके तहत वे रहते हैं। वे सरकारों और समाज के कार्यों और निष्क्रियता से किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं।

2.4 तकनीकी सत्र III: हिमालयी राज्यों के लिए पंचायत योजना में संस्थानों की भूमिका

डॉ बांके बिहारी प्रा. वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून ने अपनी प्रस्तुति में उल्लेख किया कि टोरेंट, शिफ्टिंग खेती और बीहड़ों आदि के कारण राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 5113 मीट्रिक टन मिट्टी का क्षरण होता है।

इसे रोकने के लिए उन्होंने कहा कि समोच्च खेती, फसल चंदवा में हेरफेर, इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित फसल, स्ट्रिप क्रॉपिंग संरक्षण जुताई, मल्चिंग और गली फसल आदि जैसे कृषि संबंधी उपायों को उठाए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) के अधिकारी ने औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर प्रस्तुति दी। औषधीय पौधे हमारी स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल परंपराओं का प्रमुख संसाधन आधार हैं। उन्होंने औषधीय पौधों पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के बारे में बताया जो गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, होम/स्कूल हर्बल गार्डन के निर्माण जैसी प्रचार गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

अगली प्रस्तुति में उत्तराखंड के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने राज्य में समुदाय आधारित जल आपूर्ति और स्वच्छता पर सफलता की कहानियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति पर राज्य के खजाने के माध्यम से कम बजटीय सहायता दी जाती है क्योंकि पंचायतें ऊर्जा लागत सहित ओ एंड एम व् यय को पूरा करती हैं।

2.5 तकनीकी सत्र IV: हिमालयी क्षेत्र में पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए जन योजना अभियान

डॉ. कथिरेसन एसोसिएट प्रोफेसर और पंचायती राज प्रमुख केंद्र, NIRDPR, हैदराबाद ने जैव विविधता संरक्षण योजना को GPDP / BPDP / DPDP के साथ एकीकृत करने पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य ने BD अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जैव-विविधता (BD) नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, राज्य स्तर पर एक राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs) हैं। उन्होंने BMCs की निम्नलिखित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला:

a. पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) तैयार करने के लिए
b. जैव विविधता के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देना।
c. अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव-संसाधन तक पहुंचने या एकत्र करने वाले व्यक्तियों से संग्रह शुल्क के माध्यम से शुल्क लगाना।
d. जैव संसाधनों/पारम् परिक ज्ञान, अधिरोपित शुल्क, अर्जित लाभों और साझा करने के तरीके को दर्शाने वाले ब्यौरों के बारे में रजिस्टर रखें
e. NBA और SBB को उनके फैसलों में सहायता प्रदान करें

उन्होंने जैव विविधता रजिस्टर (PBR) तैयार करने में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी विशेष गांव के परिदृश्य और जनसांख्यिकी सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध जैव संसाधनों पर व्यापक जानकारी शामिल है।

अगले वक्ता श्री मोहम्म्द तकीउद्दीन, कंसल्टेंट NIRDPR उन्होंने कहा कि GPDP का विचार गांवों का कायाकल्प है और अगर आपदा आती है तो विकास के सभी लाभ खो जाते हैं। आपदाओं को खराब/अनियोजित/घाटे के विकास और स्थानीय परियोजना में आपदा जोखिम को मुख्यधारा में लाने के लिए स्थानीय सरकारों की उपेक्षा का सूचक माना जा सकता है।

बाद में पंचायती राज मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने अपने विशेष संबोधन में हिमालयी राज्यों के मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए योजना रणनीति में क्षेत्र की संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उन्होंने पंचायत विकास के लिए प्रमुख महत्व के विषय में चुनिंदा क्षेत्रों का एक विश्लेषण संक्षेप में प्रस्तुत किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र

सुधार को पूरा करेगा। उन्होंने मिशन अंत्योदय के 2020 के सर्वेक्षण के आधार पर हिमालयी राज्यों का क्षेत्र/राज्यवार तुलनात्मक प्रदर्शन भी किया उन्होंने संबंधित राज्यों से आग्रह किया कि वे जहां भी पिछड़ रहे हैं, वहां प्रदर्शन में सुधार करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से PRIs का समर्थन कर रही है। इनमें से प्रत्येक स्कीम को उसके विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभिकल्पित किया गया है, किन्तु यह आशा की जाती है कि ऐसी प्रत्येक स्कीम में पंचायत की केन्द्रीयता उत्तरोत्तर सुनिश्चित की जाए। ICDS, JJM, SBM और SSA पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी परामर्शयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी में पंचायतों की भूमिका सुनिश्चित करता है।

इसके बाद हिमालयी राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र था। उन्होंने अपनी पंचायतों में विकास कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन में अपने अनुभव साझा किए। इस सत्र की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ने की।

श्री संजीव कुमार ZPTC (हिमाचल प्रदेश) ने एक वीडियो फिल्म के माध्यम से ग्राम पंचायत शाला, ब्लॉक गौहर, जिला मंडी की कहानी साझा की।

जम्मू-कश्मीर के सरपंच श्री मोहम्मद अशरफ पोद्दार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर PR एक्ट 1989 देश में सर्वश्रेष्ठ है। ग्राम पंचायत (हल्का पंचायत) को PR अधिनियम की अनुसूची XI में उल्लिखित मामलों को प्रशासित करने और ग्राम सभा (हल्का मजलिस) के परामर्श से विकास योजनाएं तैयार करने की शक्ति है।

जम्मू-कश्मीर के सरपंच जिंदार ने अपशिष्ट और ग्रे पानी के व्यवस्थित निपटान और प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा तैयार स्वच्छता के लिए एक आदर्श ग्राम कार्य योजना प्रस्तुत की, जो अन्यथा सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय था।

उत्तराखंड की ग्राम पंचायत क्यारकुटी भट्टा की प्रधान कौशल्या रावत ने बताया कि उनकी पंचायत ने 50 लाख रुपये स्वयं के राजस्व स्रोत के रूप में जुटाए हैं। पंचायत कार्यालय जनता के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 तक खुला रहेगा। पंचायत गांव में ठोस कचरा प्रबंधन को महत्व दे रही है और प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए टोकरियां वितरित कर रही है।

लेह जिले के श्री टेसवांग नॉर्बो सरपंच ग्राम पंचायत फरका ने बताया कि उनकी पंचायत में किसान कृषि और बागवानी कार्यकलाप करते हैं, लेकिन गांव में कोई विपणन सुविधा नहीं है और परिणामस्वरूप कुछ समय में फल और सब्जियां बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाती हैं।

कारगिल जिले की ग्राम पंचायत पश्कुम ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी ग्राम पंचायतों ने इस अवसर पर खड़े होकर यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के निर्देशों को लागू किया जाए और नागरिक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करें। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि (-) 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी उनकी पंचायत कार्यात्मक हाउस टैप कनेक्शन के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति करती है

PPC पर ग्रामसभा- राज्य-हिमाचल प्रदेश जिला-कुल्लू ब्लॉक - बंजार ग्राम पंचायत -चक्रवर्ती

2.6 तकनीकी सत्र V: पंचायती राज संस्थाओं में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक डॉ जॉय एलामोन ने VC के माध्यम से भाग लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। राज्य सरकारों ने संबंधित मंत्रालयों के समर्थन से सतत विकास लक्ष्यों के कई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहल की हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और समुदाय की प्रभावी भागीदारी के माध्यम से SDG दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर ले जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अबहेलित के प्रमुख क्षेत्रों को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और GPDP को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए:

- पंचायत विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें
- सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय
- केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं से संसाधनों का दोहन करें
- सुनिश्चित करें कि सेवाएं समुदाय तक पहुंचें
- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी बनेगी पंचायत!

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), नई दिल्ली की उप महाप्रबंधक सुश्री प्रियंका गुप्ता की प्रस्तुति में भारत सरकार की एक प्रमुख योजना अटल पेंशन योजना (APY) के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और इससे असंगठित क्षेत्र के 88% कार्यबल 60 वर्षों के बाद गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

13-14 दिसंबर, 2021 अगरतला, त्रिपुरा

पृष्ठभूमि

PPC -2021 पर पहली राष्ट्रीय स्तर की ओरिएंटेशन कार्यशाला 13 सितंबर 2021 को NIRDPR, हैदराबाद में आयोजित की गई थी, ताकि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत द्वारा क्रमशः 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), ब्लॉक पंचायत विकास योजना (DPDP) और जिला पंचायत विकास योजना (BPDP) तैयार करने के लिए देश भर में जन योजना अभियान (PPC) शुरू किया जा सके।

इसी तरह, भारत-गंगा, तटीय राज्य, PESA राज्यों, हिमालयी राज्यों के लिए चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, और अंत में 13 और 14 दिसंबर 2021 को अगरतला, त्रिपुरा में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है।

2. कार्यवाही

2.1 उद्घाटन सत्र

श्रीमती अंतरा सरकार देब, माननीय सभाधिपति, पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद, त्रिपुरा ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीपक जलाकर और 'आगर' संयंत्र को पानी देकर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया क्योंकि संयंत्र के नाम से ही 'अगरतला' नाम उभरा है।

उद्घाटन सत्र के दौरान उत्तराखंड के निदेशक PRश्री चंद्र सिंह धराशक्तु ने प्रतिभागियों का स्वागत किया।

त्रिपुरा सरकार के पंचायत निदेशक श्री देवानंद रियांग ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी गणमान्य व्यक्तियों, संसाधन व्यक्तियों, संकायों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। वह क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए अगरतला, त्रिपुरा का चयन करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और NIRD और PR, हैदराबाद और NERC - NIRDPR, गुवाहाटी के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं। अंत में उन्होंने सभी BDOs का मशालवाहक और हितधारक के रूप में स्वागत किया जो "सबकी योजना सबका विकास" का संदेश देंगे और वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर इसे लागू करेंगे।

पंचायती राज मंत्रालय में अवर सचिव श्री पंकज कुमार ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी गणमान् य व् यक्तियों, संसाधन व्यक्तियों, संकायों और प्रतिनिधियों का स् वागत किया। उन्होंने कहा कि, भले ही यह PPC का चौथा वर्ष है, फिर भी हमने अभी तक एक सभ्य GPDP का उत्पादन नहीं किया है।

लाइन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति और समन्वय की योजना बनाने की तकनीक इच्छित स्तर तक नहीं पहुंच रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन चिंता का एक प्रमुख स्रोत है।

डॉ. सी. कथिरेसन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, CPRDP & SSD, NIRD & PR ने पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए जन योजना अभियान (PPC) पर चर्चा की और स्थानीय स्तर की योजना (एक पंचायत -एक योजना) के महत्व और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को दिए गए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की।

डॉ. नारायण साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, **NIRDPR**, गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी गणमान्य व्यक्तियों, संसाधन व्यक्तियों, संकायों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया और क्षेत्रीय कार्यशाला कार्यक्रम मॉड्यूल की सामग्री के बारे में बताया।

मुख्य अतिथि श्रीमती अंतरा सरकार देब, सभाधिपति, पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी गणमान्य व्यक्तियों, संसाधन व्यक्तियों, संकायों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया और ग्राम सभा के माध्यम से GPDP तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ग्राम सभा में ग्रामीणों और लाइन विभाग के अधिकारियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है, इसलिए सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे से निपटने के मामले को देखें।इसके अलावा, उन्होंने सभी प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों से ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए जमीनी स्तर पर कार्यशाला के शिक्षण को लागू करने का अनुरोध किया।

श्रीमती अंतरा सरकार देब, सभाधिपति, पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन ।

2.2 तकनीकी सत्र I: पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए जन योजना अभियान

पंचायती राज मंत्रालय की सलाहकार श्रीमती पियाली रॉय ने जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) का अवलोकन

प्रस्तुत किया। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यशाला के लिए टोन सेट किया और वर्षों से GPDP की पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, प्रक्रिया और प्रगति और BPDP और DPDP की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की।

उन्होंने निम्नलिखित पर चर्चा की:

- 90% से अधिक ग्राम पंचायतें एकल ग्राम सभाओं का आयोजन कर रही हैं और दो ग्राम सभाओं के बजाय GPDP चक्र के सभी कार्यक्रमों को समामेलित कर रही हैं।
- ग्राम सभाओं में नागरिकों की अधिक भागीदारी/उपस्थिति की आवश्यकता
- IEC गतिविधियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर लामबंदी सुनिश्चित करने की आवश्यकता
- लाइन विभागों से अधिक समर्थन/ भागीदारी का महत्व
- GPDP में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजनाओं (VPRPs) को शामिल करना
- अधिकतम संसाधन के लिए अन्य मंत्रालयों की फ्लैगशिप योजनाओं की आवश्यकता- कुल मिलाकर MGNREGA, XV FC योजनाओं का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है

सुश्री मोनिका मीणा, ASO, पंचायती राज मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए RGSA रिलीज और PFMS का दर्जा प्रस्तुत किया। उन्होंने RGSA खाते की पूर्वोत्तर राज्यवार स्थिति पर प्रकाश डालकर अपने संबोधन की शुरुआत की। वर्तमान में, असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों ने अभी तक राज्य नोडल एजेंसी खाते के साथ बाल एजेंसियों को मैप नहीं किया है। इसलिए उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे इस महीने तक बाल एजेंसियों को सकारात्मक रूप से मैप करें।

- उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को यूसी जमा नहीं करने के कारण RGSA फंड नहीं मिल रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे राज्य के शेयर जारी करें और लंबित यूसी को जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।
- राज्य को TMP पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित प्रशिक्षण कैलेंडर और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण अपलोड करना होगा
- राज्य ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर GPDP, BPDPऔर DPDP अपलोड करने में तेजी ला सकता है।

NIRDPR के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सी. कथिरेसन ने जैव विविधता संरक्षण योजना को GPDP/BPDP/DPDP के साथ एकीकृत करने पर प्रस्तुत किया। उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की:

- जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) का गठन,
- BMC की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और GPDP / BPDP / DPDP के साथ जैव विविधता संरक्षण योजना के एकीकरण के महत्व को बताया
- जन जैव-विविधता रजिस्टर के दिशानिर्देश और PBR तैयारी में सामुदायिक भागीदारी का महत्व

डॉ नारायण साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, NERC-NIRDPR, गुवाहाटी ने साक्ष्य-आधारित पंचायत योजना पर प्रस्तुत किया।

- उन्होंने पंचायत स्तर पर साक्ष्य आधारित योजना की आवश्यकता को समझाया और कहा कि जमीनी हकीकत और वास्तविक जरूरतों के प्रमाण के रूप में आवश्यक और पर्याप्त तथ्य का उपयोग करके योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
- उन्होंने ग्राम पंचायत के साथ लाइन विभागों के डाटा की उपलब्धता पर चर्चा की। केस स्टडी के माध्यम से, यह देखा गया है कि या तो लाइन विभाग तथ्य उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध है। संबंधित विभाग के आंकड़ों और योजना के ज्ञान के संबंध में ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की योग्यता का स्तर अनिश्चित है।

पीपीसी पर ग्रामसभा- राज्य- सिक्किम, जिला- पश्चिम सिक्किम, जीपी - टिंबूरबोंग

2.3 तकनीकी सत्र II: VPDP/GPDP के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वय

आमंत्रित लाइन मंत्रालयों और संगठनों द्वारा प्रस्तुति

श्री सौमेन बागची, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (Unicef)

- उन्होंने बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए समझाया, क्योंकि वे वयस्कों की तुलना में अधिक कमजोर हैं; बच्चे विशेष रूप से शोषण और दुर्व्यवहार के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। बाल मित्र पंचायतें बच्चों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद कर सकती हैं।
- उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों पर बात की जो देश में सभी बच्चों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, साथ ही साथ बच्चों की देखभाल, संरक्षण और विकास को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों पर भी बात की।
- उन्होंने बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत की मुख्य विशेषताओं, पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका और सतत विकास लक्ष्यों तथा पंचायती राज संस्थानों के स्थानीयकरण के बारे में विस्तार से बताया।
- इसके अलावा, उन्होंने बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए "बाल सभाओं" के आयोजन के महत्व पर चर्चा की।

पंकज कुमार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- उन्होंने पंचायत विकास योजना में ग्राम आपदा प्रबंधन

योजना को शामिल करने के महत्व पर चर्चा की क्योंकि आपदाएं दशकों के विकास लाभ को छीन लेती हैं।

- उन्होंने उद्धृत किया कि "तैयारियों / जोखिम में कमी या शमन पर खर्च किया गया एक डॉलर, प्रतिक्रिया और राहत के लिए आवश्यक सात डॉलर बचाता है"।
- इसके अलावा, उन्होंने DM अधिनियम, 2005 के प्रमुख प्रावधानों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन के लिए प्रधानमंत्री के दस सूत्रीय बिसय पर चर्चा की।

डॉ. जुई भट्टाचार्य, राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक, Day-NRLM, पंचायती राज मंत्रालय

- उन्होंने ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (VPRP) की प्रक्रिया और GPDP में VPRP को शामिल करने के महत्व पर चर्चा की।
- उन्होंने VPRP 2020-21 की प्रमुख उपलब्धियों, VPRP तैयार करने और पंचायतों को प्रस्तुत करने की राज्य-दर-राज्य स्थिति और VPRP तैयार करते समय आने वाली प्रमुख समस्याओं पर भी जोर दिया।

सुश्री बेंज़िर नाज़ीम नवाज, विषयगत एंकर, कुडुम्बश्री- NRO

- उन्होंने VPRP(2020-21) के लिए कुडुम्बश्री-NRO की रणनीति पर प्रकाश डाला
- वह व्यावहारिक, पारदर्शी और सहभागी GPDP तैयार करने के लिए SHG नेटवर्क के साथ सहयोग करने के लाभों को भी नोट करती है।

श्री रिपन चकमा, राज्य मिशन प्रबंधक, TRLM

- उन्होंने त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ-साथ VPRP की तैयारी में त्रिपुरा द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों और इसकी वर्तमान स्थिति पर जोर दिया।

2.4 तकनीकी सत्र III: पंचायती राज संस्थाओं में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

श्री. सरोज कुमार दास, संयुक्त निदेशक, SIRDPR, ओडिशा और सदस्य, PRIs में SDPs के स्थानीयकरण पर MoPR - विशेषज्ञ समूह ने SDGs के स्थानीयकरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंचायत योजना में इसकी प्रासंगिकता पर प्रस्तुत किया।

- उन्होंने SDGs की अवधारणा और SDGs के स्थानीयकरण के अर्थ पर संक्षेप में चर्चा की। उन्होंने SDGs को आम लोगों की समस्याओं के साथ एकीकृत करने के लिए रणनीतियां स्थापित करने पर जोर दिया।
- उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में जनजातीय मुख्यधारा और विकास के महत्व पर जोर दिया।
- उन्होंने नौ विषयों में SDGs को शामिल करने के महत्व पर चर्चा की, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत का दृष्टिकोण होना चाहिए।
- अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य प्रायोजित योजनाओं के अलावा वित्त आयोग और पुरस्कार अनुदान लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।

श्री आरएसएएन शर्मा, परियोजना प्रबंधक, RGSA-NPMU, MoPR ने RGSA और GPDP के स्थानीयकरण पर प्रस्तुत किया। उन्होंने RGSA और SDGs के स्थानीयकरण पर चर्चा की और इस संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव है।

- नियमित रूप से SLMTT का क्षमता निर्माण
- MA सर्वेक्षण में पहचाने गए SDG संकेतकों को शामिल किया जाएगा
- GPDP में फोकस योजना में मात्रा से गुणवत्ता में बदलाव पर होना चाहिए
- SDGs लक्ष्यों के अंतर्गत 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' के सिद्धांत को GPDP में संबोधित किया जाएगा
- SDGs की निगरानी के लिए समर्पित डैशबोर्ड
- PDI और SDG उपलब्धि के तहत SDGs के स्थानीयकरण के लिए पुरस्कार
- RGSAके माध्यम से SDGs के स्थानीयकरण के लिए दिशा निर्देश

2.5 तकनीकी सत्र IV: जन योजना अभियान - निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनुभव साझा करना

जिला पंचायत अध्यक्षों के अनुभवों का आदान-प्रदान

अरुणाचल प्रदेश: श्री चुखू बबलू, ZPC, पापुम पारे जिला।

- उन्होंने पापुम पारे जिले के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की
- PRI सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण संबंधित दलों द्वारा समय पर प्रदान नहीं किया जाता है।
- सभी लाइन विभागों द्वारा GPDP /ग्राम सभाओं में भागीदारी न करना।
- लाइन विभागों के संचालन की जांच के लिए कोई उपयुक्त निगरानी तंत्र नहीं है।

मेघालय: श्रीमती बिनसरी सी. मारक, सचिव, VEC, रोम्बाग्रे, पश्चिम गारो हिल्स जिला

उन्होंने ग्राम पंचायत के समावेशी विकास के लिए सभी उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके एक भागीदारी योजना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया।

त्रिपुरा: श्री. जॉयदेब देबबर्मा, सभाधिपति, खोवाई जिला

- ➢ उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया।
- ➢ उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सभी योजनाओं को सभी स्तरों द्वारा ठीक से लागू करने की आवश्यकता है।

त्रिपुरा: श्री. अमलेंदु दास, सभापति, उनाकोटी जिला

- कार्य योजना की कुछ सीमाएं हैं और प्राथमिकता वाली योजनाएं बनाई जानी चाहिए और प्रभावी विकास के लिए एक परामर्शी पत्र होना चाहिए।
- परियोजना प्रक्रिया में लाइन विभाग की भागीदारी में सुधार किया जाना चाहिए।
- समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, व्यावहारिक योजना और पारदर्शिता बनाए रखी जानी चाहिए।
- 15वें वित्त अनुदान और राज्य निधि के साथ आय सृजन गतिविधियों, पेयजल मुद्दों का समाधान किया जा रहा है।

त्रिपुरा: श्रीमती अंतरा सरकार देब, सभाधिपति, त्रिपुरा

- ➢ वह ग्राम सभाओं के महत्व का उल्लेख करती है और एक वर्ष में गुणवत्तापूर्ण ग्राम सभाओं की संख्या भी बढ़ाती है।
- ➢ ग्राम सभा के कार्यक्रम के बारे में व्यापक जागरूकता लाई जाए और लाइन विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- ➢ उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर एक्सपोजर यात्राओं पर भी ध्यान केंद्रित किया ताकि उनकी शिक्षा को बढ़ाया जा सके।
- ➢ उन्होंने अप्रयुक्त सरकारी भूमि का उपयोग करके स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि का प्रस्ताव दिया (मत्स्य पालन और अन्य कार्यकलाप शुरू की जा सकती हैं)

ग्राम पंचायत अध्यक्षों द्वारा अनुभवों का आदान-प्रदान

अरुणाचल प्रदेश: श्री. हैप्पी माने, जीपी सदस्य, मायू-II GP, लोअर दिबांग वैली जिला

- ➢ उन्होंने बताया है कि उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न निधियों का उपयोग करके पेयजल, मोबाइल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी में सुधार किया गया है।
- ➢ उन्होंने स्थानीय लोगों से ग्राम पंचायत के विकास के लिए प्रकार, नकदी या श्रम के रूप में दान करने पर जोर दिया क्योंकि सरकार एक वर्ष में ग्राम पंचायत के सभी विकास कार्यों को नहीं कर सकती है।

असम: श्री. मानबसनवाल, तलप GP, तिनसुकिया जिला

- ➢ उन्होंने अपनी पंचायत में किए गए सभी विकास कार्यों को उचित और प्रभावी योजना के साथ साझा किया।
- ➢ उन्होंने ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध निधि का उपयोग करके स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित किया।

असम: श्री. प्रदीप देवरी, बागजप GP, मोरीगांव जिला

- उन्होंने कहा कि बाघजप GP ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2017-18 अर्जित किया और पुरस्कार से प्राप्त धन का उपयोग पोल्ट्री हैचरी सुविधा के निर्माण के लिए किया, जो पंचायत के लिए राजस्व स्रोत बन गया।
- ➢ उन्होंने ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए की गई प्रक्रिया को साझा किया।

2.6 तकनीकी सत्र V: पंचायती राज मंत्रालय की पहलों पर प्रस्तुतियां

पंचायती राज मंत्रालय के सलाहकार श्री जी एस कृष्णन ने वाइब्रेंट ग्राम सभा बनाने पर सत्र लिया। उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की:

- ➢ उन्होंने ग्राम सभा के संवैधानिक प्रावधानों और ग्राम सभा में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के स्तर पर चर्चा की।
- ➢ उन्होंने ग्राम सभा को जीवंत बनाने यानी ग्राम सभा को जैविक, अभिनव और सार्वभौमिक रूप से लाभकारी बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया।
- ➢ इसके अलावा, उन्होंने ग्राम सभा को जीवंत बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम परामर्श का भी उल्लेख किया।

डॉ. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर, NIRDPR ग्राम पंचायत योजना के लिए ग्राम मानचित्र- स्थानिक उपकरण पर प्रस्तुत किया गया।

- ➢ उन्होंने GPDP निर्माण प्रक्रिया में भू-स्थानिक योजना के समावेश के महत्व और उपयोगिता पर चर्चा की।
- ➢ उन्होंने यह भी कहा कि एमओपीआर सतत विकास योजना के लिए भौगोलिक तथ्य को नियोजित करने का इरादा रखता है, क्योंकि स्थानिक तथ्य सेट, उपग्रह इमेजरी के साथ संयोजन के रूप में, इसकी वर्तमान स्थिति में योजना की एक दृश्य तस्वीर प्रदान करेगा।
- ➢ इसके अलावा, उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय के महत्वपूर्ण वेब पोर्टलों यानी ग्रामस्वराज, ग्राम मानचित्र, मिशन अंत्योदय, वाइब्रेंट ग्राम सभा, GPDP, सिटीजन चार्टर और स्वामित्व को याद दिलाया।

2.7 समापन सत्र

इस कार्यशाला के टेकअवे: राज्य प्रतिनिधियों से प्रस्तुतियां

त्रिपुरा: श्री रतन नामा, सहायक निदेशक, पंचायत निदेशालय, त्रिपुरा

- उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजना/राज्य प्रायोजित योजना आदि का उपयोग करके उचित और प्रभावी योजना के साथ पंचायत क्षेत्रों में की गई कुछ विकास गतिविधियों को साझा किया।
- जन योजना अभियान की शुरुआत से ही त्रिपुरा राज् य संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषयों के अंतर्गत शामिल अधिकतम लाइन विभाग को शामिल करते हुए एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहा है।

पंचायत परिकल्पना उत्सव: आसाम राज्य का एक अनुभव

*पवित्र कलिता, संयुक्त निदेशक (टीआरजी), SIPRD, आसाम

पृष्ठभूमि

ग्राम पंचायतों (GP) को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समग्र, यथार्थवादी और भागीदारीपूर्ण तरीके से अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDPs) तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए 02.10.2018 से 31.12.2018 तक पहली बार जन योजना अभियान (PPC) सबका विकास शुरू किया गया था। इस अभियान को सावधानी पूर्वक योजना, प्रशिक्षण; राज्यों द्वारा ऊर्जावान आदान और संबंधित मंत्रालयों/विभागों का मजबूत समर्थन के माध्यम से प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है । 2018 में अपनी स्थापना के बाद से जन योजना अभियान सहभागी तरीके से एक समग्र और यथार्थवादी पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायक रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मिशन अंत्योदय के तहत उपलब्ध व्यावहारिक आंकड़ों, पिछले वर्ष की योजना के अंतराल विश्लेषण और प्राथमिक डेटा संग्रह के आधार पर लोगों की महसूस की गई आवश्यकता को पकड़ने के लिए बॉटम-अप योजना पद्धति को अपनाना है GPDP के निर्माण के मुख्य तत्व/उद्देश्य, जिन्हें GPDP में सामिल करने की भी आवश्यकता है वे हैं, (i) गरीबी उन्मूलन; (ii) मानव विकास; (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं और कमजोर समूहों पर विशेष बल देते हुए सामाजिक विकास; (iv) आथक विकास; (v) पारिस्थितिकीय विकास; (vi) लोक सेवा सुपुर्दगी और (vii) लागतहीन विकास। कार्यान्वयन की प्रमुख कार्यनीति केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ साझीदारी के माध्यम से नियोजित कार्यों/कार्यकलापों को शुरू करना है।

PPC दृष्टिकोण को 2020-21 के तहत योजना अभियान के लिए फिर से शुरू किया गया था, जो एक उदेस्य के लिए काम करने वाले सभी विभागों और हितधारकों के लिए "एक मिशन एक योजना" के सार में था, इस प्रकार सभी लाइन विभागों के लिए एक मिशन मोड में पंचायत स्तर की योजना में भाग लेने के लिए एक वातावरण सृष्टि करना।

पिछले साल PPC में शामिल ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं और अन्य हितधारकों के दृश्यमान और संतोषजनक प्रदर्शन से प्रेरित होकर, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2020 से 2021-22 के लिए GPDP तैयार करने के लिए यही प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। GPDP में संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों और संबंधित विभाग/मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए। क्यूंकि GPDP तैयार करने में भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए संरचित ग्राम सभा बैठकों की आवश्यकता होती है जहां सभी लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता ग्राम पंचायत में अपने विभाग की गतिविधियों से संबंधित विस्तृत पर प्रस्तुतियां देते हैं। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए ऐसे तथ्य GPDP के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये GPDP की क्षेत्रीय योजना की ओर ले जाते हैं।

आसाम सरकार ने 2020-21 के लिए PPC के तहत योजना की पूरी प्रक्रिया के लिए की जाने वाली पहल को "पंचायत परिकल्पना उत्सव" के रूप में घोषित किया, जिसमें सभी लाइन विभाग और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, ग्राम सभाओं के माध्यम से साक्ष्य, तथ्यों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 2020-21 के लिए एक यथार्थवादी वार्षिक कार्य योजना बनाने में पंचायतों की उचित सहायता करेंगे। इस निर्देश के तहत, ग्राम सभाओं के संचालन और GPDP के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों के रूप में प्रक्रिया को अपनाने का आकलन करने के लिए पंचायतों का दौरा करने हेतु एक पैनल का गठन किया गया था

अत्याधुनिक स्तर के कार्यकर्ताओं, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), DAY-NRLM आदि द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और कार्यों से ग्राम पंचायतों / ग्राम सभाओं द्वारा GPDP तैयार करने के कार्यों में काफी सुविधा होगी। इसका उद्देश्य आजीविका मिशन की महिला सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRP) और प्रशिक्षित सामाजिक लेखा परीक्षकों को ग्राम सभा की बैठकों के लिए सहायकों के रूप में शामिल करना भी है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण ने ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर पर अंतराल की पहचान करने में काफी मदद की और पिछले अभियान के दौरान साक्ष्य आधारित योजना और कार्यान्वयन पर व्यवस्थित जोर देने की सुविधा प्रदान की।

इस पृष्ठभूमि के साथ प्रक्रिया के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए हमारे राज्य के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यह प्रक्रिया मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों को प्रशिक्षण शुरू करेगी और भागीदारी योजना तैयार करने के लिए विभिन्न चरणों को सामिल करेगी। अंत में, GPDP को प्लानप्लस पर अपलोड करना होगा। हर दिन की गतिविधियों का संपूर्ण ब्यौरा पहले ही दे दिया गया है ।

उपर दिए गए को ध्यान में रखते हुए, ग्राम सभाओं में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की भागीदारी आवश्यक है ताकि एकीकृत, समग्र और यथार्थवादी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में ग्राम पंचायत को सुविधाजनक बनाया जा सके और GPDP तैयार करने की प्रक्रिया में लाइन विभाग के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

वरिष्ठ अधिकारियों के विवरण का तरीका:

यह कार्यक्रम राज्य की 2676 ग्राम पंचायतों और VDC/ VCDC में कार्यान्वित किया जाएगा। इस संदर्भ में, निम्नलिखित पर ग्राम पंचायत की सुविधा के लिए राज्य और जिलों दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी का संकल्प लिया गया है:

- मिशन अंत्योदय के आधार पर सर्वेक्षण किए गए आंकड़ों के सत्यापन की सुविधा के लिए।
- GPPFT / VPFT द्वारा तैयार मसौदा पंचायत स्थिति रिपोर्ट के विजनिंग और प्राथमिकता को सुविधाजनक बनाने के लिए।
- ASRLMS के SHG द्वारा तैयार गरीबी उन्मूलन योजना तैयार करने की सुविधा के लिए
- मिशन अंत्योदय डेटा के आधार पर GPPFT द्वारा तैयार समग्र विजनिंग योजना तैयार करने की सुविधा के लिए
- संसाधन आधारित ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की सुविधा के लिए

- ग्राम पंचायत की विभागवार क्षेत्रीय योजना को अलग करने में सुविधा प्रदान करने के लिए।

तदनुसार, 1 नवंबर से 19 नवंबर 2020 और 27 नवंबर से 13 दिसंबर 2020 तक पंचायत परिकल्पना उत्सव के दौरान ग्राम पंचायतों का दौरा करने के लिए विजिटिंग अधिकारी का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। पंचायत परिकल्पना उत्सव के दौरान कुल 79 विजिटिंग अधिकारियों ने ग्राम सभाओं का दौरा किया। विजिटिंग अधिकारियों को दिशानिर्देश प्रशिक्षण दिया गया और इस उद्देश्य के लिए विकसित प्रश्नावली को भरने के लिए कहा गया है।

कार्यकारी सारांश

।यह रिपोर्ट इन उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विजिटिंग अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों के दौरे के आधार पर तैयार की गई थी। वरिष्ठ सिविल सेवा संवर्गों को दौरे के लिए विजिटिंग अधिकारियों के रूप में चुना गया था। लेकिन, अन्य व्यस्तताओं के कारण, कुछ अधिकारी अपने संबंधित ब्लॉक का दौरा नहीं कर सके। पंचायतों का दौरा करने वाले 79 अधिकारियों में से 34 वरिष्ठ सिविल अधिकारी, 9 अधिकारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के, और 36 एसआईपीआरडी के संकाय सदस्य थे। यह निर्णय लिया गया कि विजिटिंग अधिकारी ग्राम सभाओं की अवधि के दौरान अपनी पसंद की किसिभी दो पंचायतों का दौरा करेंगे। पूरे आयोजन को पंचायत परिकल्पना उत्सव घोषित किया गया। इस उत्सव में, 24 जिले, 88 ब्लॉक के 236 ग्राम पंचायतों हैं, जिनका दौ विजिटिंग अधिकारियों ने 1 नवंबर से 19 नवंबर 2019 और 27 नवंबर से 13 दिसंबर 2019 तक दौरा किया था। "पंचायत परिकल्पना उत्सव" के अवलोकन निम्नलिखित हैं

i. यह देखा गया है कि दूसरी ग्राम सभा के दौरान लोगों को जुटाने के लिए माइक घोषणा (91%) प्रभावी, जब की निमंत्रण (82%), अधिसूचना (79%) और बैनर (76%) प्रभावी था

ii. वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए तीसरी ग्राम सभा के दौरान माइक घोषणा (82%), जब की आमंत्रण (70%), अधिसूचना (70%) और बैनर (64%) प्रभावी था

iii. दोनों ग्राम सभाओं में महिला प्रतिभागियों की भागीदारी क्रमशः 51% और 53% के साथ पुरुष प्रतिभागियों की तुलना में अधिक थी।

iv. यह पाया गया है कि दूसरी ग्राम सभा में 93% और तीसरी गाँव सभा में 80% के साथ दोनों गाँव सभाओं में उचित कार्यसूची बनाए रखा गया था और उसका पालन किया गया था। फिर भी, तीसरी ग्राम सभा में केवल 24% पंचायतों ने समुचित कार्यसूची बनाए रखने के साक्ष्य प्रदान किए।

v. लाइन विभाग की उपस्थिति भी खराब थी। ग्राम सभा के दौरान केवल 18% अधिकारी उपस्थित थे।

vi. 94% ग्राम पंचायत ने दूसरी गाँव सभा से पहले पंचायत की पहली बैठक आयोजित की है और 79% गाँव पंचायत ने वार्षिक कार्रवाई गाँव सभा से पहले दूसरी बैठक की व्यवस्था की थी।

vii. यह देखा गया है कि 93% ग्राम पंचायत ने वार्ड के हिसाब से स्थिति विश्लेषण किया है और 84% ग्राम पंचायत ने वार्ड के हिसाब से DSR प्रस्तुत किया है।

viii. यह स्पष्ट है कि 73% ग्राम पंचायत ने अनुसूची-II का उपयोग करके पंचायत ड्राफ्ट स्थिति रिपोर्ट तैयार की है।

ix. 54% ग्राम पंचायत ने अनुसूची-III का उपयोग करके अधिकतम संसाधन ब्योरा तैयार किया है।

x. यह पाया गया है कि केवल 52% ग्राम पंचायत ने अनुसूची-IV का उपयोग करके समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार की है।

xi. यह देखा गया है कि 62% ग्राम पंचायत ने अनुसूची-V का उपयोग करके वार्षिक कार्य योजना 2020-2021 तैयार की है।

xii. गरीबी हटाओ योजना GPDP का एक अभिन्न अंग है। यह स्पष्ट है कि केवल 59% गोवा पंचायत गरीबी हटाओ योजना तैयार कर पाई है।

1.1 दूसरी ग्राम सभा में लोगों को जुटाने के लिए उठाए गए कदम

सर्वेक्षण किए गए 236 ग्राम पंचायतों में से 215 पंचायतों ने माइक अनाउंसमेंट का उपयोग किया, 194 ग्राम पंचायतों ने निमंत्रण का उपयोग किया, 186 ग्राम पंचायतों ने अधिसूचना का उपयोग किया और 179 ग्राम पंचायतों ने दूसरी ग्राम सभा में लोगों को जुटाने के लिए बैनर और पोस्टर का उपयोग किया। चित्र 1.1 दूसरी ग्राम सभा में लोगों को जुटाने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए विभिन्न विधियों को अपनाने का प्रतिशत को प्रतिनिधित्व करता है।

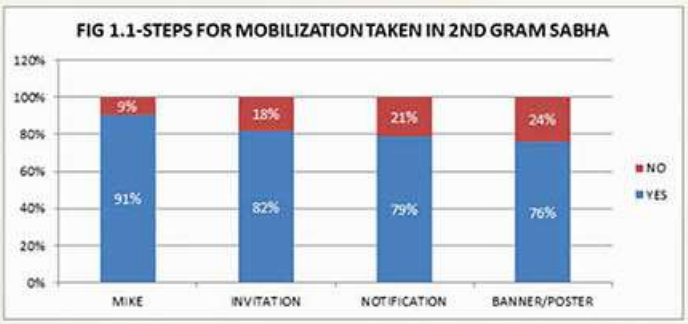

1.2 तीसरी ग्राम सभा में लोगों को जुटाने के लिए उठाए गए कदम

जिन 236 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट की गई थी, उनमें से 82 प्रतिशत पंचायतों ने माइक अनाउंसमेंट का उपयोग किया, 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने आमंत्रण का उपयोग किया, 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अधिसूचना का उपयोग किया और 64 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने तीसरी ग्राम सभा में लोगों को जुटाने के लिए बैनर और पोस्टर का उपयोग किया। चित्र 1.2 तीसरी ग्राम सभा में लोगों को जुटाने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए विभिन्न विधियों को अपनाने का प्रतिशत को प्रतिनिधित्व करता है।

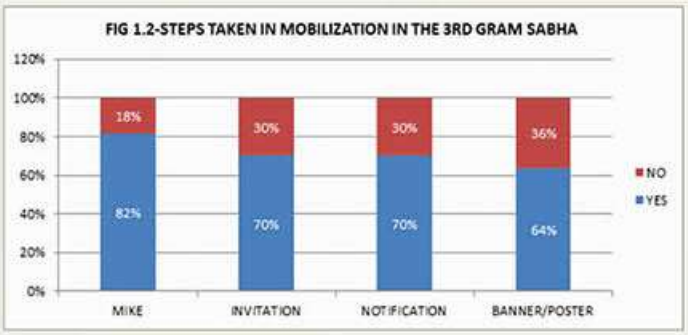

2.1 दूसरी ग्राम सभा में पुरुष और महिला भागीदारी की अनुपात ।
यह बताया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 236 ग्राम पंचायतों में से दूसरी ग्राम सभा में भाग लेने के लिए उन पंचायतों में कुल 58,721 लोग एकत्र हुए थे, जिनमें से 28,487 पुरुष प्रतिभागी थे और 30,232 महिला प्रतिभागी थीं। यह आंकड़ा पुरुषों की भागीदारी की तुलना में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

FIG 2.1-PARTICIPATION OF MALE AND FEMALE IN 2ND GAON SABHA

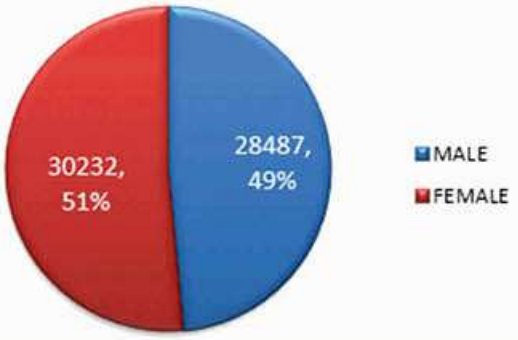

दूसरी ग्राम सभा में कुल प्रतिभागियों में महिलाओं की भागीदारी 51% थी और पुरुषों की भागीदारी 49% थी।

2.2 तीसरी ग्राम सभा में पुरुष और महिला भागीदारी की अनुपात ।
तीसरी ग्राम सभा में भाग लेने वाले कुल 41,815 लोगों में से 22,063 महिला प्रतिभागी और 19752 पुरुष प्रतिभागी थे। चित्र 2.2 तीसरी ग्राम सभा में पुरुष और महिला प्रतिभागियों के प्रतिशतवार वितरण को दर्शाता है जो क्रमशः 47 प्रतिशत और 53 प्रतिशत था।

FIG 2.2-PARTICIPATION OF MALE AND FEMALE IN 3RD GAON SABHA

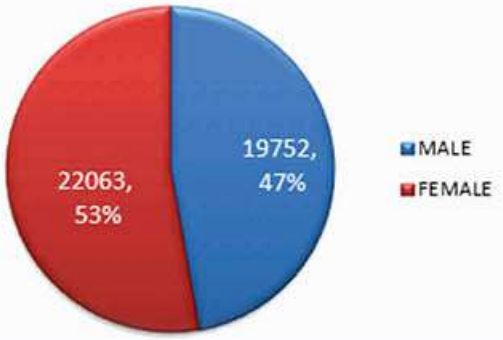

तीसरी ग्राम सभा □□□ दूसरी ग्राम सभा की तुलना में लोगों की समग्र भागीदारी में 16,906 लोगों की उल्लेखनीय कमी दर्ज की। दूसरी और तीसरी ग्राम सभा दोनों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत पुरुष की तुलना में अधिक है।

3.1 ग्राम सभा में उचित कार्यसूची का पालन
236 ग्राम पंचायतों में से 219 ग्राम पंचायतों ने दूसरी ग्राम सभा के लिए उचित कार्यसूची का अनुसरण किया और उसे बनाए रखा। चित्र 3.1 दूसरी ग्राम सभा में उचित कार्यसूची के रखरखाव के विश्लेषण को दर्शाता है, जिससे यह भी पता चलता है कि यधपि 93 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा उचित कार्यसूची बनाए गया था, केवल 77 प्रतिशत ने कार्यसूची के रखरखाव और ठीक से पालन किए जाने के साक्ष्य और प्रमाण प्रदान किए।

FIG 3.1-MAINTENANCE OF PROPER AGENDA IN 2ND GAON SABHA

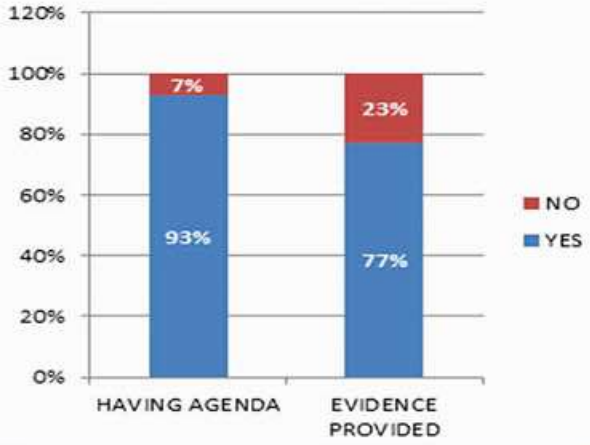

3.2 तीसरी ग्राम सभा में उचित कार्यसूची का पालन
236 ग्राम पंचायतों में से 189 ग्राम पंचायतों ने तीसरी ग्राम सभा के लिए उचित कार्यसूची का अनुसरण किया और उसे बनाए रखा। चित्र 3.2 तीसरी ग्राम सभा में उचित एजेंडे के रखरखाव के विश्लेषण को दर्शाता है, जिससे यह भी पता चलता है कि यधपि 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा उचित कार्यसूची बनाए रखा गया था, केवल 76 प्रतिशत ने एजेंडे के रखरखाव और ठीक से पालन किए जाने के साक्ष्य और प्रमाण प्रदान किए।

FIG 3.2-MAINTENANCE OF PROPER AGENDA IN 3RD GAON SABHA

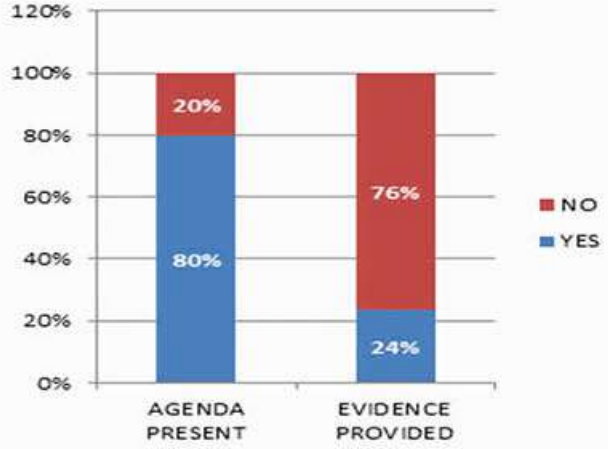

4.1 लाइन विभागों को आमंत्रित किया गया और दूसरी ग्राम सभा में साक्ष्य प्रदान किए गए

236 ग्राम पंचायतों में से 217 ग्राम पंचायतों ने उचित साधनों के माध्यम से लाइन विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया था, लेकिन केवल 172 ग्राम पंचायतों ने दूसरी ग्राम सभा में अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदान किए।

शेष 19 ग्राम पंचायतों के पास न तो आधिकारिक रिकॉर्ड था और न ही लाइन विभाग के अधिकारियों को दूसरी ग्राम सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था।

FIG 4.1- LINE DEPARTMENT INVITED IN THE 2ND GRAM SABHA

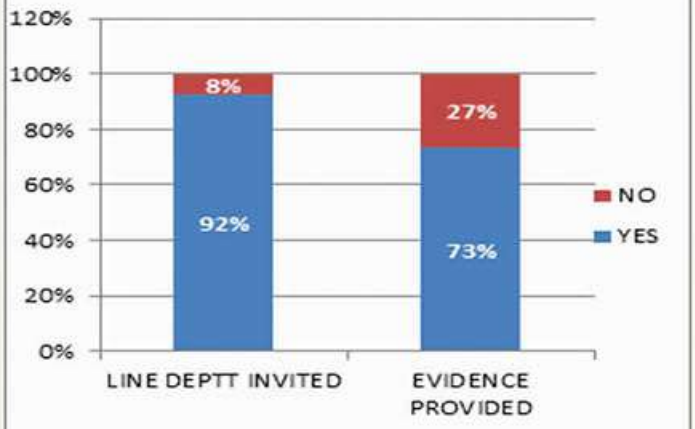

4.2 लाइन विभागों को आमंत्रित किया गया और साक्ष्य प्रदान किए गए तीसरी ग्राम सभा

विश्लेषित 236 ग्राम पंचायतों में से 177 ग्राम पंचायतों ने तीसरी ग्राम सभा में लाइन विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया था, लेकिन केवल 40 ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा में अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदान किए थे।

लाइन विभागों को आमंत्रित करने के साक्ष्य को बनाए रखने वाले GP की संख्या कुल GP का लगभग 83 प्रतिशत थी।

FIG 4.2-LINE DEPTT INVITED IN THE 3RD GRAM SABHA AND EVIDENCE PROVIDED

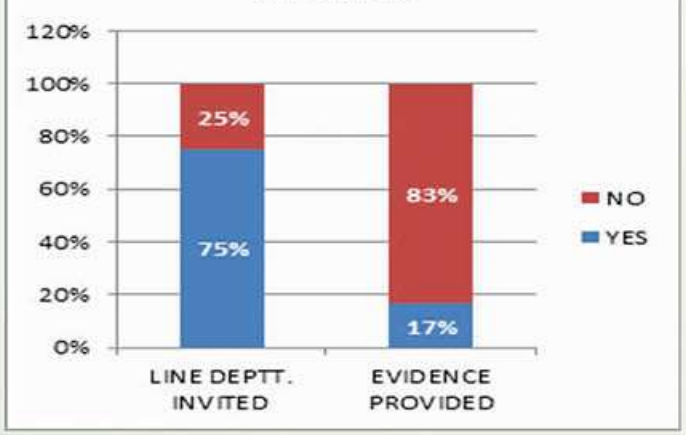

5.1 दूसरी ग्राम सभा से पहले पंचायत की बैठक

चित्र 5-1 दूसरी ग्राम सभा से पहले पंचायत बैठक आयोजित करने वाली पंचायतों के प्रतिशत को दर्शाता है। जिसका सार GP में सभी 10 वार्डों को कवर करने वाली विभिन्न PRA गतिविधियों को एकत्र करने वाले प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना और DSR तैयार करना था। इससे पता चलता है कि 94 प्रतिशत (219 ग्राम पंचायतों) ने पहली बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की, लेकिन केवल 77 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पास उचित दस्तावेज उपलब्ध थे, अर्थात 236 ग्राम पंचायतों में से 181 ग्राम पंचायतों ने उचित दस्तावेज बनाए रखा।

FIG 5.1- PANCHAYAT SITTING CONDUCTED PRIOR TO 2ND GAON SABHA

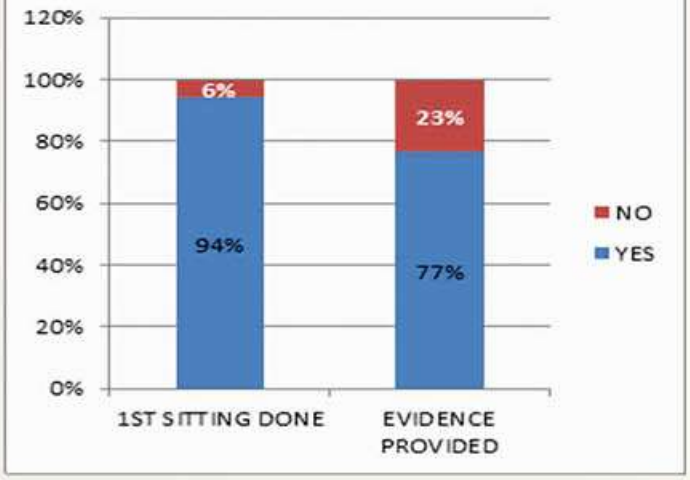

5.2 तीसरी गाँव सभा से पहले पंचायत की बैठक

चित्र 5-1 तीसरी ग्राम सभा से पहले पंचायत बैठक आयोजित करने वाली पंचायतों के प्रतिशत को दर्शाता है। तीसरी और अंतिम ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक योजना का मसौदा तैयार करने के लिए तीसरी ग्राम सभा से पहले दूसरी पंचायत बैठक आयोजित की जाती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 79 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने तीसरी ग्राम सभा से पहले दूसरी पंचायत का संचालन किया, जिसकी संख्या दौरा किए गए कुल 236 GP में से 186 GP थे।

FIG 5.2-PANCHAYAT SITTING HELD PRIOR TO 3RD GAON SABHA

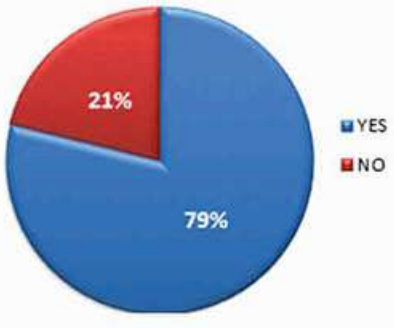

6.1 वार्ड के हिसाब से स्थिति विश्लेषण किया गया और साक्ष्य प्रदान किए गए

यह बताया गया कि दौरा किए गए कुल 236 ग्राम पंचायतों में से 219 ग्राम पंचायतों में वार्ड के हिसाब से स्थिति का विश्लेषण किया गया। 236 ग्राम पंचायतों में से 188 ग्राम पंचायतों ने संसाधन मानचित्र, सामाजिक मानचित्र आदि के रूप में स्थिति विश्लेषण करने के समुचित साक्ष्य प्रदान किए। स्थिति विश्लेषण लोगों की जरूरतों के साथ एक समग्र योजना के मानचित्रण के लिए आवश्यक प्राथमिक तथ्य खोजने के लिए एक प्राथमिक उपकरण है।

FIG 6.1-Situation Analysis done and evidence provided

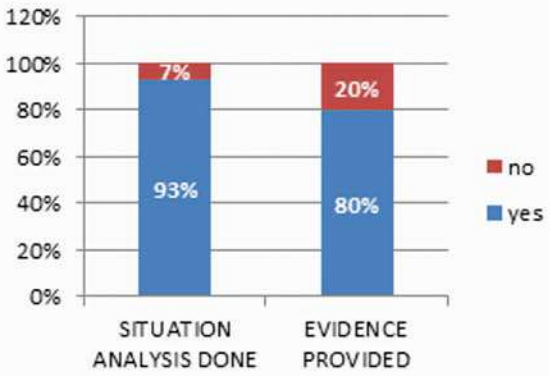

6.2 वार्ड के हिसाब से DSR प्रस्तुत/ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए

पंचायत में प्रत्येक वार्ड द्वारा विकास स्थिति रिपोर्ट (DSR) तैयार की जानी चाहिए ताकि वार्डों के भीतर विभिन्न विकास अंतरालों और उपलब्ध संसाधनों को समझा जा सके। दौरा किए गए कुल ग्राम पंचायतों में से 84 प्रतिशत ने, उचित वार्ड के हिसाब से DSR बनाए रखा, जिनमें से केवल 70 प्रतिशत ने उचित DSR बनाए रखने के सबूत प्रदान किए

FIG 6.2-WARD WISE DSR PRESENTED/EVIDENCE PROVIDED

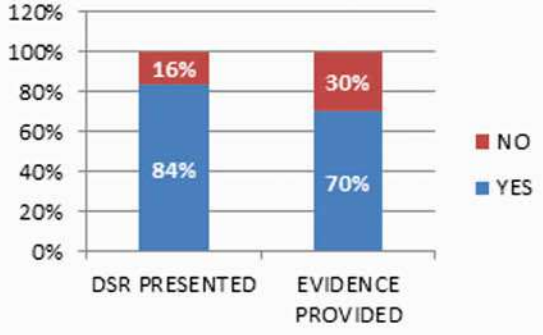

6.3 साक्ष्य के साथ आयोजित वार्ड सभा

प्रत्येक ग्राम पंचायत को दूसरी ग्राम सभा से पहले प्राथमिकता के आधार पर वार्ड की प्राथमिक आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए वार्ड के हिसाब से सभा आयोजित करनी होगी। यह वार्ड के हिसाब से DSR का विश्लेषण, प्राथमिकता और सत्यापन करने के लिए आयोजित किया जाता है।

चित्र 6.3 दर्शाता है कि दौरा किए गए 236 ग्राम पंचायतों में से 217 ग्राम पंचायतों ने वार्ड के हिसाब से सभा का आयोजन किया है, लेकिन केवल 175 ग्राम पंचायतों ने वार्ड के हिसाब से सभा आयोजित करने के लिए दौरा करने वाले अधिकारियों को उचित साक्ष्य प्रदान किए थे

FIG 6.3-Ward Wise Ward Sabha Conducted and Evidence provided

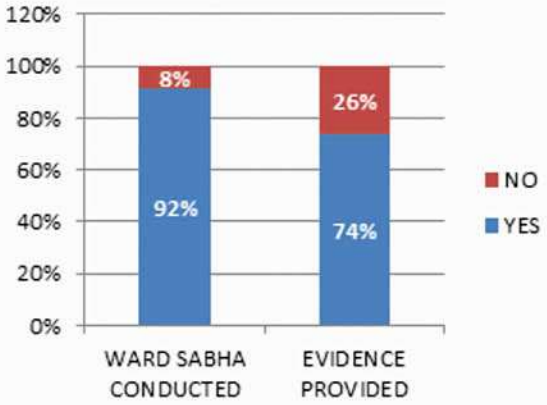

7.1 अनुसूची II प्रस्तुति और प्रदान किए गए साक्ष्य

अनुसूची II को पंचायत ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है जो वार्ड के हिसाब से DSR को पूरी पंचायत की एकक स्थिति रिपोर्ट में समेकित करने के लिए निर्धारित प्रारूप है। इसमें प्रत्येक वार्ड द्वारा प्राथमिकता रैंकिंग के साथ सेक्टर का नाम सहित योजना के प्रस्तावित नाम पर प्रकाश डाला गया है।

विश्लेषण से पता चला है कि कुल 236 ग्राम पंचायतों में से केवल 73 प्रतिशत पंचायतें जो 172 थीं, ने अनुसूची II के उचित प्रलेखन को बनाए रखा, जिनमें से केवल 134 पंचायतों ने साक्ष्य प्रदान किए।

FIG 7.1-Annexure II present and evidence provided

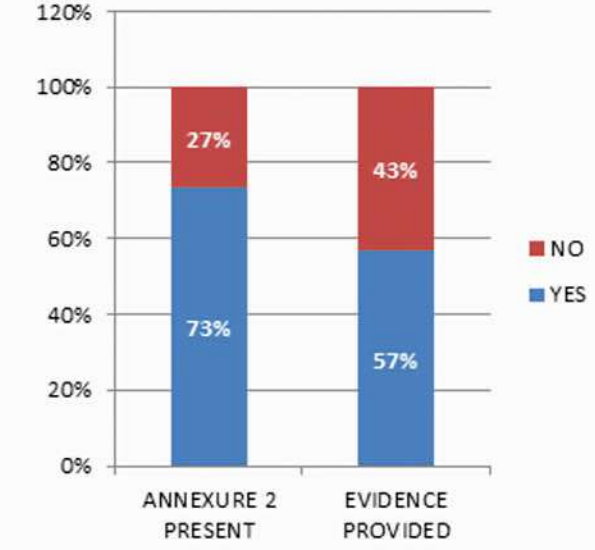

7.2 अनुसूची III प्रस्तुत है और साक्ष्य प्रदान किए गए हैं

किसी विशेष वर्ष में विभिन्न लाइन विभागों और ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व स्रोतों सहित विभिन्न स्त्रोतों से निधि की उपलब्धता और इसके प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अनुसूची III (अधिकतम संसाधन) निर्धारित किया गया है।

अनुसूची III को दौरा किए गए कुल 236 ग्राम पंचायतों में से केवल 127 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रलेखित किया गया था। दौरा किए गए शेष 108 ग्राम पंचायतों ने अनुसूची III के समुचित प्रलेखन का रखरखाव नहीं किया।

FIG 7.2-ANNXURE III PRESENTED

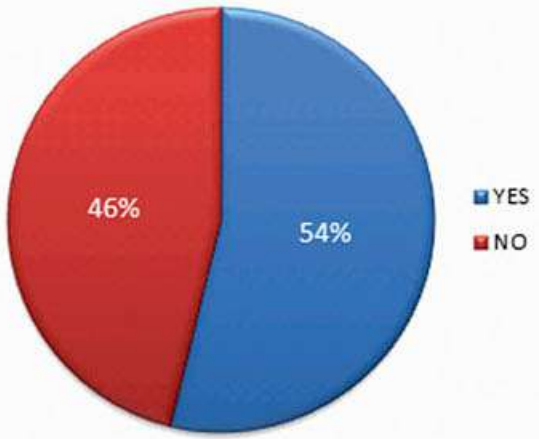

7.3 अनुसूची IV प्रस्तुति

अनुसूची IV ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के वर्गीकरण के लिए एक मानक संरचना है। यह व्यवस्थित तरीके से GPDP को वर्गीकृत करने के लिए एक उचित दिशा देता है।

यद्यपि यह दस्तावेज उचित GPDP के संचालन के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन दौरा किए गए कुल 236 ग्राम पंचायतों में से 48 प्रतिशत ग्राम पंचायतें अनुसूची IV को बनाए रखने में आसामर्थ थीं।

FIG 7.3-ANNEXURE IV PRESENTED

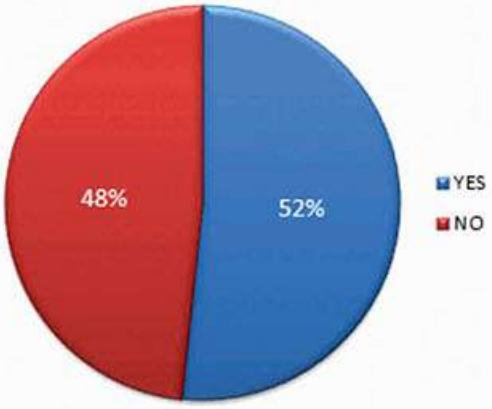

7.4 अनुसूची V प्रस्तुति

संसाधनों/निधियों की उपलब्धता के अनुसार मुख्य योजोना के बांटने के लिए अनुसूची V निर्धारित किया गया है। मूल रूप से अनुसूची V का उपयोग MGNREGS, FFC और OSR के लिए योजनाओं के पृथक्करण के लिए किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध लाइन विभाग की निधियां शामिल हैं।

कुल 236 ग्राम पंचायतों में से 146 ग्राम पंचायतों ने अनुसूची V का समुचित रूप से अनुरक्षण किया और शेष 90 ग्राम पंचायतों के पास अनुसूची V नहीं था।

FIG 7.4-ANNEXURE V PRESENTED

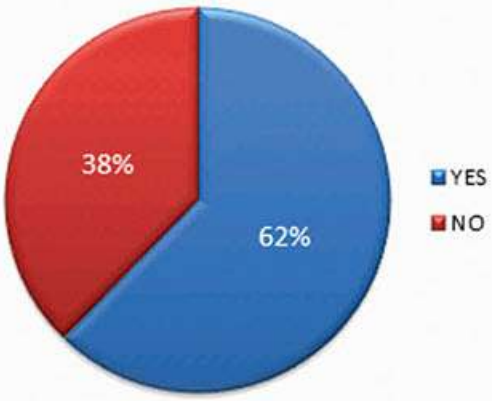

7.5 अनुसूची VI प्रस्तुत है

अनुसूची VI को विशेष रूप से लाइन विभागों के लिए डिजाइन किया गया है। संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड और पात्रता और लाभ सहित विभाग से संबंधित अपनी योजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करेंगे और GPDP में अपनी योजना में शामिल करने के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका का संकेत देंगे।

FIG 7.5- ANNEXURE VI PRESENTED

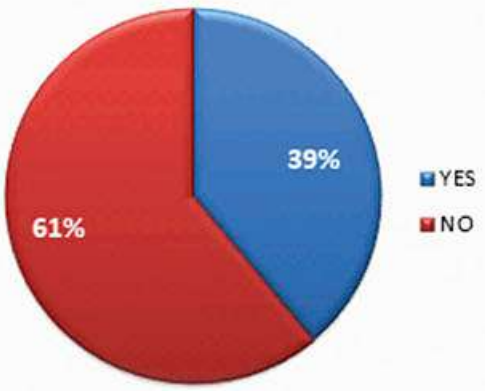

गौरतलब है कि कुल 236 ग्राम पंचायतों का दौरा किया गया, जिनमें से 144 ग्राम पंचायतें अनुसूची VI दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकीं। दौरा किए गए केवल 39 प्रतिशत पंचायतें ने अनुसूची VI दस्तावेज का रखरखाव किया था।

8. गरीबी हटाओ योजना वर्तमान

गरीबी हटाओ योजना (PRP) SHG के सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझेदारी में तैयार की गई स्थानीय विकास के लिए एक समेकित मांग योजना है। PRP NRLM के तहत PRI-CBO सहभागिता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है।

यह देखा गया कि सर्वेक्षण किए गए कुल 236 ग्राम पंचायतों में से केवल 139 ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा में गरीबी हटाओ योजना प्रस्तुत की, शेष 97 ग्राम पंचायतें ग्राम सभा में दस्तावेज प्रस्तुत करने में आसामर्थ थीं।

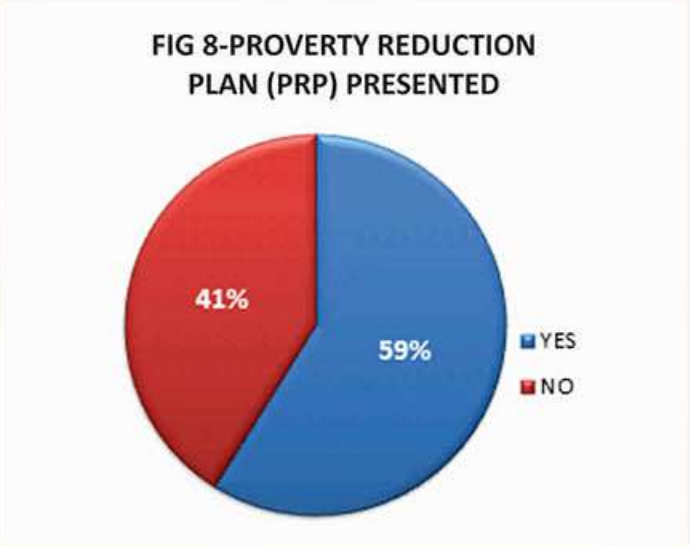

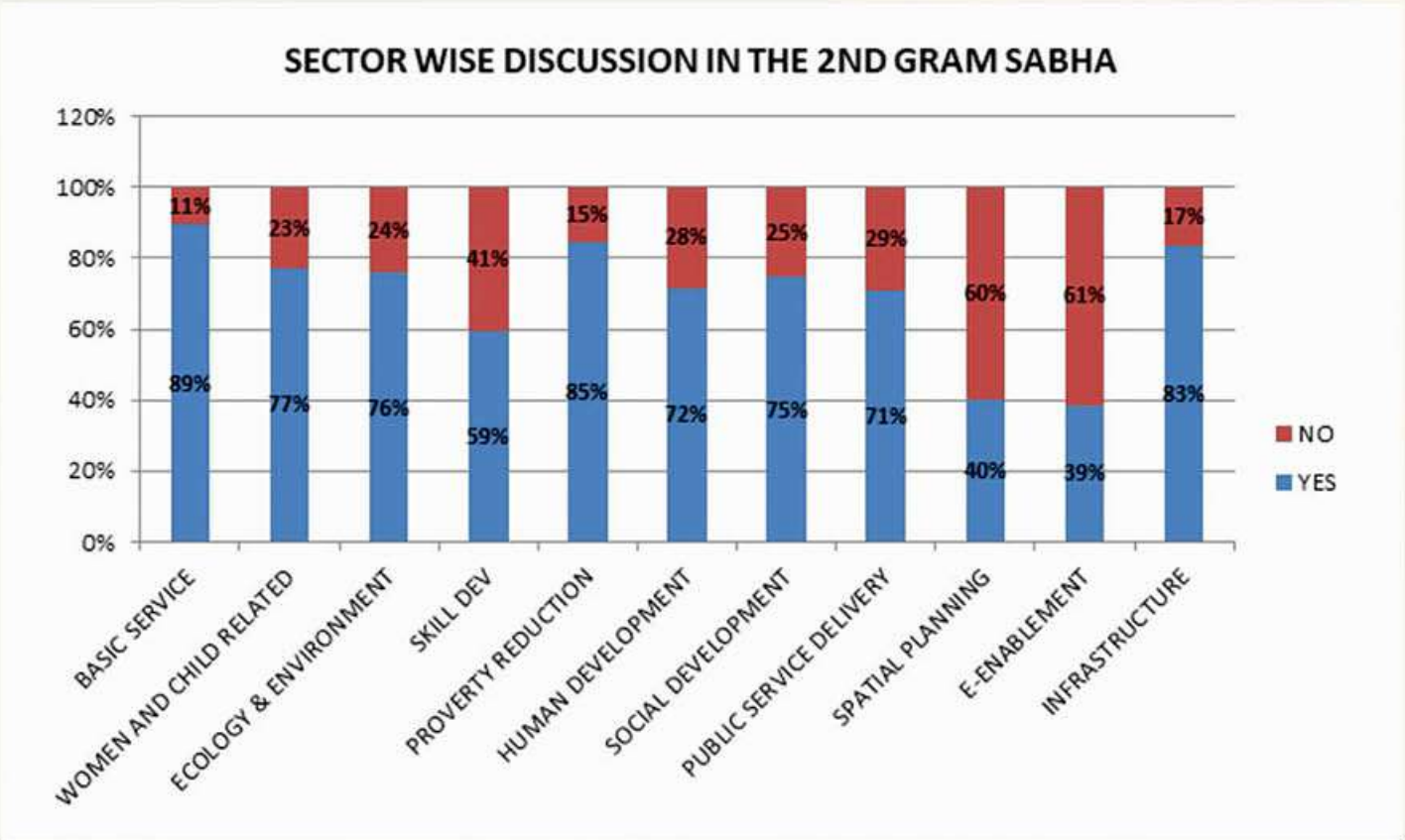

आंकड़े उन सभी 236 ग्राम पंचायतों की दूसरी ग्राम सभा में चर्चा और प्रस्तुत किए गए क्षेत्र के हिसाब से मुद्दों को दर्शाते हैं जिनका दौरा किया गया था। बुनियादी सेवा, गरीबी हटाओ, बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे क्रमशः 89 प्रतिशत, 85 प्रतिशत और 83 प्रतिशत के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। ई-सक्षमता और स्थानिक योजना मुद्दों पर सबसे कम, क्रमशः 39 प्रतिशत और 40 प्रतिशत चर्चा की गई ।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा SKICC, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) का आयोजन

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज 21 जून, 2022 को शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (SKICC), श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग प्रदर्शन आयोजित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा चुने गए 75 राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है, 2022 सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने गणमान्य व्यक्तियों और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों, योग उत्साही और स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता, पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव श्री (डॉ.) चंद्रशेखर कुमार, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव श्री नीतीश्वर कुमार, पंचायती राज मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री (डॉ.) विजय कुमार बेहरा, जम्मू-कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आयुक्त/सचिव श्रीमती मनदीप कौर और केन्द्र सरकार तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हमारे दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में विस्तार से बात की और सभी से अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले प्रतिभागियों को काम में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आराम करने और खुद को फिर से जीवंत करने के लिए दिन के समय योग ब्रेक लेने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने आठवें DIY के अवसर पर सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी और सभी से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नियमित आधार पर योग अपनाने और योगाभ्यास करने की अपील की। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कश्मीर घाटी के ऐतिहासिक शहर श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध और सुंदर डल झील के तट पर स्थित SKICC में हल्की बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में स्थानीय योग उत्साही इकट्ठे हुए ।

कार्यक्रम स्थल पर मुख्य योग प्रशिक्षक डॉ रूही तबस्सुम के द्वारा कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योग प्रदर्शन का संचालन किया गया और सभी प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2022 को मनाने करने के लिए 45 मिनट के योग सत्र में शामिल हुए।

SKICC, श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2022 समारोह में विभिन्न संगठनों के लगभग 1200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें AYUSH निदेशालय और यूनानी कॉलेज के लगभग 250; PRIUM से 50; RDD (पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी) से 550 ; युवा और खेल विभाग से 50; SKUST से 40; BSF से 50; CRPF से 100; BMO से 15; SCOUT से 50; CMO से 15; NHM से 50 और स्थानीय निवासियों सहित अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायतों के लिए आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 17 मार्च 2022 को पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की। आपदा प्रबंधन योजना, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार, पंचायती राज मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. चन्द्रशेखर कुमार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य श्री कृष्ण एस. वत्स, NDMA के सदस्य श्री राजेंद्र सिंह और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जारी की गई। राज्य पंचायती राज विभागों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, राज्य राहत आयुक्तों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आभासी माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन उपायों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुरूप बनाने के लिए एक ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन योजना विकसित की है। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की परिकल्पना, योजना और कार्यान्वयन के लिए सहभागिता और सामूहिक कार्रवाई, आपदाओं के व्यापक प्रबंधन में हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर होगी।

श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DMP-MoPR) को ग्राम से लेकर जिला पंचायत स्तर तक समुदाय आधारित योजना के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। योजना के तहत, प्रत्येक भारतीय ग्राम में "ग्राम आपदा प्रबंधन योजना" होगी और प्रत्येक पंचायत के पास अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री कृष्ण एस. वत्स ने एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने आपदा प्रबंधन योजना में पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका और ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा के जोखिम प्रति लचीलापन की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह ने भी भाग लिया।

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

https://www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
https://twitter.com/mopr_gov?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCEVBqQXipAuDqZsnwto4nA
https://www.panchayat.gov.in

मुद्रित और प्रकाशक
पंचायती राज मंत्रालय
प्रधान संपादक: सुनील कुमार,
सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
मुद्रण: मोड विज्ञापन और विपणन प्राइवेट लिमिटेड
प्रकाशक: पंचायती राज मंत्रालय,
भारत सरकार, टॉवर II,
9 वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायतों के लिए आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 17 मार्च 2022 को पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की। आपदा प्रबंधन योजना, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार, पंचायती राज मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. चन्द्रशेखर कुमार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य श्री कृष्ण एस. वत्स, NDMA के सदस्य श्री राजेंद्र सिंह और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जारी की गई। राज्य पंचायती राज विभागों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, राज्य राहत आयुक्तों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आभासी माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन उपायों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुरूप बनाने के लिए एक ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन योजना विकसित की है। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की परिकल्पना, योजना और कार्यान्वयन के लिए सहभागिता और सामूहिक कार्रवाई, आपदाओं के व्यापक प्रबंधन में हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर होगी।

श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DMP-MoPR) को ग्राम से लेकर जिला पंचायत स्तर तक समुदाय आधारित योजना के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। योजना के तहत, प्रत्येक भारतीय ग्राम में "ग्राम आपदा प्रबंधन योजना" होगी और प्रत्येक पंचायत के पास अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री कृष्ण एस. वत्स ने एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने आपदा प्रबंधन योजना में पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका और ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा के जोखिम प्रति लचीलापन की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह ने भी भाग लिया।

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

https://www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
https://twitter.com/mopr_goi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCEVBqQXipAuDqZsinwto4nA
https://www.panchayat.gov.in

मुद्रित और प्रकाशक
पंचायती राज मंत्रालय
प्रधान संपादक: सुनील कुमार,
सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
मुद्रण: मोड विज्ञापन और विपणन प्राइवेट लिमिटेड
प्रकाशक: पंचायती राज मंत्रालय,
भारत सरकार, टॉवर II,
9 वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001